रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1996 (आषाढ़ 15, 1918)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1996 (ASADHA 15, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

(प्रशासन और कार्मिक प्रबन्ध विभाग)

मुम्बई-400001, दिनांक 4 जून 1996

सं. 5—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का द्वितीय) की धारा 58 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली 1990 में एतद् अनुबंधित संशोधन प्रकाशित करता है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का द्वितीय) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ई) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है ।

एस. ए. हुसैन
कार्यपालक निदेशक
अनुबन्ध

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियमावली 1990

निम्नलिखित विद्यमान विनियमों एवं उनके समक्ष उल्लिखित पाठ से प्रतिस्थापित कर लिया जाए ।

विनियम 2 (8) (ए)

पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी तथा महिला कर्मचारी के मामले में पति ।

विनियम 2 (8) (बी)

पुत्र, जिसकी उम्र 25 वर्ष नहीं हुई हो तथा अविवाहित पुत्री जिसकी उम्र 25 वर्ष नहीं हुई हो, सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत् गोद लिया गया पुत्र/पुत्री शामिल है, किन्तु सेवानिवृत्ति उपरान्त गोद लिया गया पुत्र/पुत्री शामिल नहीं है; तथापि मरणोपरान्त उत्पन्न शिशु शामिल है ।

विनियम 6 (4)

जहां उप-विनियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी गवर्नर हो, वहां गवर्नर के ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय बोर्ड से अपील की जा सकेगी, जिसका आदेश बाध्यकारी होगा ।

विनियम 7

यदि किसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के दौरान यह उजागर होता है कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त पुनर्नियोजन की अवधि सहित अपनी सेवा अवधि के दौरान पेंशनभोगी किसी ऐसे घोर कदाचार अथवा अवहेलना का दोषी है, जिसके फलस्वरूप बैंक को वित्तीय क्षति पहुंची हो, तो सक्षम प्राधिकारी ऐसे पेंशनभोगी की पेंशन अथवा उसके किसी अंश को स्थायी आधार पर अथवा किसी विशिष्ट अवधि हेतु अवरुद्ध कर सकता है अथवा वापस ले सकता है तथा उक्त क्षति की पूरी अथवा आंशिक भरपाई हेतु वसूली के आदेश जारी कर सकता है, बशर्ते, किसी भी तरह के अंतिम आदेश जारी करने से पहले केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श लिया जाएगा ।

बशर्ते, यह कि यदि ऐसी विभागीय जांच कार्यवाही कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई हो, फिर भले ही उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा पुनर्नियोजन के दौरान की गई हो, तो कर्मचारी की अंतिम तौर पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् यह माना जाएगा कि उक्त कार्यवाही इस नियम के अधीन ही की गई है तथा कार्यवाही उस अधिकारी द्वारा ही जारी रखी जाएगी और समाप्त की जाएगी जिसने उसे प्रारम्भ किया हो एवं उसे संचालित करने का तौर-तरीका भी वही रहेगा जो कर्मचारी के सेवा में जारी रहने की स्थिति में अपनाया जाता । बशर्ते, आगे यह भी, कि यदि कर्मचारी के सेवारत रहने के दौरान कोई विभागीय अथवा न्यायिक जांच प्रारम्भ नहीं की गई हो, तो 4 वर्ष से ज्यादा अवधि के पहले कार्रवाई का औचित्य सिद्ध होने अथवा घटना घटित होने के संबंध में कोई भी विभागीय अथवा न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी । जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेंशन से वित्तीय क्षति की वसूली के आदेश जारी किये जाएं, वहां सामान्यत: कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तिथि को उसे अनुमत पेंशन राशि की एक तिहाई राशि से ज्यादा दर पर वसूली नहीं की जाएगी बशर्ते जिन मामलों में आंशिक पेंशन अवरुद्ध की जाती है अथवा वापस ली जाती है, वहां पूर्णकालिक कर्मचारी के मामले में कम पेंशन की राशि 375/- रु. प्रतिमाह से कम नहीं होगी तथा अंशकालिक कर्मचारी के मामले में उक्त राशि उस पर लागू वेतन दरों के समकालीन समानुपातिक दर पर होगी ।

विनियम 32 (6)

परिवार पेंशन जारी रहने की अवधि निम्नानुसार रहेगी ।

(क) विधवा अथवा विधुर के मामले में मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो

(ख) पुत्र के मामले में, उसकी उम्र 25 वर्ष हो जाने तक; तथा

(ग) अविवाहित पुत्री के मामले में उसकी उम्र 25 वर्ष हो जाने तक अथवा उसका विवाह होने तक, इनमें से जो भी पहले घटित हो ।

बशर्ते यदि किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री किसी मानसिक रुग्णता अथवा विकलांगता से ग्रस्त हो अथवा शारीरिक रूप से अपंग अथवा असमर्थ होने की वजह से आजीविका कमाने में समर्थ नहीं हो, तो इस संबंध में बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को जीवन भर के लिए परिवार पेंशन देय होगी ।

विनियम 32 (7)

(क) किसी भी समय किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य को परिवार पेंशन नहीं दी जाएगी ।

(ख) यदि मृत कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी की विधवा विधुर जीवित हो, तो परिवार पेंशन, उक्त विधवा अथवा विधुर को देय होगी, अन्यथा पात्र बच्चे को ।

(ग) बच्चों को परिवार पेंशन का भुगतान उनके जन्म के क्रम में किया जाए तथा उनमें कम उम्र वाला परिवार पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उससे ज्येष्ठतर बच्चा परिवार पेंशन पाने के लिए अपात्र नहीं हो जाता ।

(बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग)

मुम्बई-400005, दिनांक 10 जून 1996

सं. 2088/12.01.001 (ए)/95-96—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक निदेश देता है कि 25 जुलाई 1994 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. एफएससी (एसआइएफय) 60/27.02.010/94-95 में संशोधन करते हुए वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से जो छूट 6 अगस्त 1994 से प्रारम्भ पखवारे से समाप्त की गयी थी, वह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के संबंध में 8 जून 1996 से प्रारम्भ पखवारे से पुन: लागू की जाये ।

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

सं. 2089/12.01.001 (ए)/95-96—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक निदेश देता है कि 25 जुलाई 1994 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. एफएससी (एसआइएफय) 60/27.02.010/94-95 में संशोधन करते हुए वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से जो छूट 6 अगस्त 1994 से प्रारम्भ पखवारे से समाप्त की गयी थी, वह बैंक आफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन के संबंध में 8 जून 1996 से प्रारम्भ पखवारे से पुन: लागू की जाये ।

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 20 जून 1996

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 3-एन.सी.ए. (8)/2/95-96—रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10(2) (बी) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का

प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।

क्र. सं., सदस्यता संख्या, नाम एवं पता, दिनांक

1	2	3	4
1.	3465	श्री गुप्ता जसवंत लाल, एफ.सी.ए., सी-2/107, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058।	1-10-95
2.	5523	श्री गर्ग संतोष नारायण, ए.सी.ए., 2/15, वृज पुरा, अपोजिट मधु सिनमा, यमुनानगर-135001।	1-10-95
3.	6011	श्री टंडन महेश कुमार, एफ.सी.ए., फाइनेन्स डायरेक्टर, इंडियन फार्मस फर्टि-लाइजर्स कोप., 34, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।	1-10-95
4.	7464	श्री गुप्ता प्रमोद कुमार, एफ.सी.ए., डायरेक्टर एण्ड ग्रुप वाइस-प्रेजीडेंट, मोदी जीरोक्स लि., 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019।	1-10-95
5.	11975	श्री मलिक विपिन कुमार, एफ.सी.ए., 4 बी/116 दयानन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024।	1-10-95
6.	17625	श्री सतीश कुमार, एफ.सी.ए., अपोजिट पैट्रोल पम्प, नियर गिल चौक, लिंक रोड़, लुधियाना-141003।	1-10-95
7.	25020	श्री कृष्णन एन, एफ.सी.ए., 6 ई सी पी डब्ल्यू डी हाउसिंग कोम्पलैक्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057।	1-10-95
8.	26989	श्री रघुपथी राव सी वी, एफ.सी.ए., डब्ल्यूजेड-223ए, फस्ट फ्लोर, लेन नं. 2, विरेन्दर नगर, नई दिल्ली-110058।	1-10-95
9.	70858	श्री बक्षा धनिन्दर पाल सिंह, एफ.सी.ए., जी एस बक्षा एण्ड क., 253/1, सेक्टर 45-ए, चण्डीगढ़-160047।	1-10-95
10.	72089	श्री महेश्वरी संजय कुमार, एफ.सी.ए., 16/1ए, पी एण्ड टी क्वाटर्स, कालाबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली-110001।	5-12-94
11.	72509	श्री गुप्ता विकास चन्द्रा, एफ.सी.ए. ई-84, कालकाजी, नई दिल्ली-110019।	1-10-95
12.	73234	श्री पदमानाभन आर, ए.सी.ए., सी-1200, इफको कालोनी, सैक्टर 7, गुड़गांव-122001।	1-10-95
13.	80330	श्री खन्ना अनिल कुमार, एफ.सी.ए., फ्लैट नं. 594, पदम बहादुर मल एशियन गेम्स विलेज कोम्पलैक्स, नई दिल्ली।	1-10-95
14.	80390	श्री सतीश कुमार, ए.सी.ए., सी-57, विवेक विहार, दिल्ली-110032।	1-10-95
15.	80417	श्री कोंग दीपांकर मोहन, ए.सी.ए., प्राइस वाटर हाउस, 1 लंदन ब्रिज, लंदन एस ई 19 क्यूएल, इंग्लैंड।	1-10-95
16.	81764	श्री थापड़ राजीव, एफ. सी. ए., राजीव थापड़ एण्ड कं., जे-33 एन डी एस ई-1, नई दिल्ली-110049।	1-10-95
17.	82017	श्री राम चन्दर, एफ.सी.ए., राम चन्दर एण्ड क., 7/62, पंजाबी बाग (ईस्ट), नई दिल्ली-110026।	1-10-95
18.	82059	श्री कोहली विनीत, ए.सी.ए., 42-ए, सुन्दर अपार्टमैंट्स, जीएच-10 पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110041।	1-10-95

1	2	3	4
19.	82085	श्री जैन राजेश कुमार, एफ.सी.ए., राजेश के जैन एण्ड एसोसिएट्स, 114, नामधेरी चैम्बर्स 9/54 डी बी गुप्ता रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ।	1-10-95
20.	82264	श्री नय्यर पुनीत, एफ.सी.ए., 5972, ग्रेसबोक ड्राइव, मिस्सीसौगा, ओन्टारियो एस 5 एन 6 बी 3, कनाडा ।	1-10-95
21.	83875	श्री कृष्णामूर्ती एम, ए.सी.ए., एच-7, नाइटिंगल अपार्टमेंट्स, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 ।	1-10-95
22.	84156	श्री शर्मा अतुल, ए.सी.ए., डी-3/3596, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 ।	1-10-95
23.	84230	श्री दीपक कुमार, एफ.सी.ए., ए-74, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 ।	1-10-95
24.	84293	श्री जैलेन्द्र कुमार, ए.सी.ए., 1259, सैक्टर 4, अर्बन इस्टेट, गुड़गांव-122001 ।	5-12-94
25.	84329	श्री रूस्तगी सुधीर, एफ.सी.ए., सुधीर रूस्तगी एण्ड कं., 10/10 होली रोड़, नई दिल्ली-110001 ।	1-10-95
26.	84723	श्री भल्ला हरदीप, एफ.सी.ए., 3-बी टैगोर नगर, लुधियाना ।	1-10-95
27.	84922	श्री दिनेश कुमार, एफ.सी.ए., दिनेश रूस्तगी एण्ड एसोसिएट्स, 954/1, कनिका भवन, भोजपुरा मानीवाड़ा नई सड़क, दिल्ली-110006 ।	1-10-95
28.	85103	कु. श्री बाहरी रिंकू, ए.सी.ए., हाउस नं. 376, विकास कुंज, विकास पुरी, नई दिल्ली-110018 ।	1-10-95
29.	85163	श्री जरपुरिया सुरेश कुमार, एफ.सी.ए., इंटरनल आडिटर, बोट्सवाना एग्रीकल्चरल मार्किटिंग, प्राइवेट बैग 0053 गैबरोने, बोट्सवाना, अफ्रीका ।	1-10-95
30.	85480	श्री गुलाटी विक्रम, एफ.सी.ए., एल-28/5, डीएलएफ कुतुब एंक्लेव, फेज-2, गुड़गांव-122002 ।	1-10-95
31.	85530	श्री अग्रवाल ललित कुमार, ए.सी.ए., डिप्टी मैनेजर (फाइनैन्स), मारूति उद्योग लि., पालम गुड़गांव रोड़, गुड़गांव-122015 ।	1-10-95
32.	85812	श्री मित्तल अतुल कुमार, एफ.सी.ए., अतुल कुमार मित्तल एण्ड एसोसिएट्स, ए-53, (फर्स्ट फ्लोर), शिवालिक, नियर मालविया नगर, नई दिल्ली-110017 ।	1-10-95
33.	85813	श्री गोयल तरूण, एफ.सी.ए., तरूण गोयल एण्ड कं., 203, टाका चैम्बर्स, 2069/39, नाईवाला करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ।	1-10-95
34.	85832	श्री गोयल संजय, एफ.सी.ए., संजय गोयल एण्ड कं., जे-23 गंगाराम वाटिका, सिमूक नगर, नई दिल्ली-110018 ।	1-10-95
35.	86097	श्री बाधा सचिन, एफ.सी.ए., एस बाधा एण्ड कं., 83, नवजीवन विहार, नई दिल्ली-110017 ।	1-10-95

1	2	3	4
36.	86105	श्री कालरा परमिन्दर सिंह, ए.सी.ए., ईबी-110, एसएफएस ए फ्लैट्स, जी-8 एरिया, माया एंक्लेव, नई दिल्ली-110065 ।	1-10-95
37.	86141	श्री बाघा मनोज, ए.सी.ए., एम बाघा एण्ड कं., ए-1/275 सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110029 ।	1-10-95
38.	86723	कु. श्री बुधराजा अर्चना, एफ.सी.ए., ए-1/270, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली-110029 ।	5-12-94
39.	86793	श्री खरदन्दा चन्दर मोहन, ए.सी.ए., बाई-68, हौज खास, नई दिल्ली-110016 ।	1-10-95
40.	86795	श्री अग्रवाल संदीप कृष्णा कुमार, ए.सी.ए., बी-13 तारा अपार्टमेंट्स, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 ।	1-10-95
41.	87183	मिस सिंह तन्या ए, एफ.सी.ए., 361, माउंट कैलाश टावर्स, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ।	1-10-95
42.	87191	मिस उषा राजीव, ए.सी.ए., आई-110, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052 ।	1-10-95
43.	87402	श्री बजाज जयन्त, एफ.सी.ए., सी-74, पोकेट-बी, मयूर विहार फेज-2, दिल्ली-110091 ।	1-10-95
44.	87416	श्री खन्डेलवाल अजय, एफ सी.ए., 705, सीमदेस चैम्बर्स-2, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 ।	1-10-95
45.	87975	श्री अग्रवाल अशोक ए.सी.ए., सी-78, सूरजमल विहार, दिल्ली-110092 ।	1-10-95
46.	88050	श्री मघन यौगेश कुमार, ए.सी.ए., विवेकानन्द कालेज स्टाफ, फ्लैट नं. 4, टाइप-2, विवेक विहार, दिल्ली-110095 ।	5-12-94
47.	88415	कु. श्री गुप्ता सविता, ए.सी.ए., 115-ए, पोकेट-डी, केशव पुरम, (आल्ड नेम लौरेंस रोड), दिल्ली-110035 ।	9-12-91
48.	88999	श्री गोयला राहुल, ए.सी.ए., बी-5, स्वास्थ्य विहार, दिल्ली-110092 ।	1-10-95
49.	89441	श्री नाटाराजन आर, ए.सी.ए., 91ए एल.आई.जी डीडीए फ्लैट्स, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 ।	5-12-94
50.	89603	श्री श्रीनिवासा पार्थसारथी रवि, ए.सी.ए., एक्स-254, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 ।	1-10-95
51.	89877	श्री सेठिया मनोज, ए.सी.ए., बी-270, विवेक विहार, दिल्ली-110095 ।	1-10-95
52.	89912	श्री जैन अरूण, ए.सी.ए., जेडपी-26, मौर्या एंक्लेव पितमपुरा, दिल्ली-110034 ।	5-12-94
53.	90291	श्री जैन प्रदीप, ए.सी.ए., ए-260, फस्ट फलोर, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 ।	1-10-95

1	2	3	4
54.	90293	मिस साहा उमा, एफ. सी. ए., 48-डी, एलआईजी फ्लैट्स (आरपीएस) राजौरी गार्डन, अपोजिट मायापुरी गवर्नमेंट प्रेस, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 ।	5-12-94
55.	90824	मिस शेखर शालिनी, ए.सी.ए., आई-110, अशोक विहार-1 दिल्ली-110052 ।	1-10-95
56.	90851	श्री तेज प्रताप सिंह, ए.सी.ए., के नं. 1, धालीवाल कॉलोनी, जी पी ओ रोड़, पटियाला-147001 ।	5-12-94
57.	90966	मिस धिंगरा अंजू, ए.सी.ए., 182, अवतार एनक्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 ।	1-10-95
58.	91137	श्री गुप्ता अनिल, ए.सी.ए., सी 4ई/57, पॉकेट-8, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 ।	1-10-95
59.	91159	श्री टिपनिस मिलिन एम, ए.सी.ए., 18ए, कोहिनूर अपार्टमेंट्स, कालकाजी एक्सटेंसन, नई दिल्ली-110019 ।	1-10-95
60.	91476	श्री अग्रवाल नितिन, ए.सी.ए., डी-185, सरीता विहार, नई दिल्ली-110044 ।	1-10-95
61.	91552	श्री आहूजा संजय, ए.सी.ए., सी-182, आनन्द विहार, दिल्ली-110092 ।	1-10-95
62.	91744	श्री धारीवाल मनीष, ए.सी.ए., सी-4/31, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 ।	1-10-95
63.	92142	श्री कालरा संजय, ए.सी.ए., एफ-66, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 ।	1-10-95
64.	92208	श्री महेश्वरी शरद कुमार, ए.सी.ए., ए-2/156, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 ।	1-10-95
65.	92261	मिस महाजन पुनीता, ए.सी.ए., 61/19, रामजस रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 ।	1-10-95
66.	92291	श्री कृष्णा धीरज मोहन, ए.सी.ए., धीरज एण्ड कं., फस्ट फ्लोर, 2701/13ए रणजीत नगर, नई दिल्ली-110008 ।	1-10-95
67.	92365	मिस जैन ममता, ए.सी.ए., 86-ए, पॉकेट-बी, मयूर विहार फेज-2, नई दिल्ली-110091 ।	1-10-95
68.	92451	श्री गोयल मनवेन्द्रा, ए.सी.ए., केयर ऑफ ओ पी टण्डन, 20, वकील लेन, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली-110001 ।	1-10-95
69.	92535	श्री शर्मा राजेश कुमार, ए.सी.ए., 241, आरपीएस डीडीए फ्लैट्स, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032 ।	1-10-95
70.	73991	श्री वर्मा चन्द्रा शेखर, ए.सी.ए., जी-2, एसोसिएटिड अपार्टमेंट्स, प्लोट नं. 83, आई पी एक्सटेंशन, दिल्ली-110092 ।	1-10-95
71.	82444	श्री गुप्ता पंकज, ए सी.ए., फ्लैट 302-308-309, 1/82 ललिता पार्क, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 ।	1-10-95
72.	84785	श्री खन्ना राकेश, ए.सी.ए., एम-115ए, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ।	1-10-95

1	2	3	4
73.	86056	श्री मित्तल पंकज, एफ. सी. ए., केयर ओफ पंकज मित्तल एण्ड कं., 65/41, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005।	5-12-94
74.	86222	श्री अजय कुमार, एफ. सी. ए., रिपि गोविन्द एण्ड एसोसिएट्स 1005, रोहित हाउस, 3, टोलस्टोय मार्ग, नई दिल्ली-110001।	1-10-95
75.	87557	श्री डोगरा अरूण कुमार, एफ. सी. ए., मनमोहन सिंह एण्ड कं. 203, सीए चैम्बर्स, 18/22 डब्ल्यूईए, पूसा लेन, करोल बाग, नई दिल्ली-110005।	1-10-95
76.	87575	श्री जैन कृष्ण कुमार, ए. सी. ए., के के जैन एण्ड एसोसिएट्स, केयर ओफ मैसर्स जिनेन्द्रा मेडिकल हाल, घंटाघर गेट, भीवानी।	1-10-95
77.	80806	श्री गोविन्द लाल मारवा, ए.सी.ए., मार्डन ग्रुप, 704-705, अंसल भवन, 16 के जी मार्ग, नई दिल्ली।	1-10-95
78.	82147	श्री मुंजल नरेश कुमार, एफ.सी.ए., मेकस्टार, 908, अंसारी भवन, के जी मार्ग, नई दिल्ली-110001।	1-10-95
79.	82198	श्री मृद राजीव, एफ.सी.ए., डी-239, निर्माण विहार, दिल्ली [illegible]	1-10-95
80	84423	श्री सिंह जगजीत, ए.सी.ए., 9, शिवाजी मार्किट, यमुनानगर।	1-10-95
81	84672	श्री विरमानी गुलशन, एफ.सी.ए., केयर ओफ खन्ना सेल्स कारपोरेशन, जी टी रोड, मिलर गंज लुधियाना।	1-10-95
82.	85650	श्री अग्रवाल संजीव कुमार, एफ.सी.ए., सी-46, रीट्रीट सी.पी.एच.एस. लि., 20, पटपड़गंज, दिल्ली-110092।	1-10-95
83.	88070	मिस कपूर अनीता, ए.सी.ए., 78, मैरा एन्क्लेव, रिंग रोड, नई दिल्ली-110041।	1-10-95
84.	88229	श्री सक्सेना पंकज, एफ.सी.ए., 58, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001।	1-10-95
85	88562	श्री रंगाराजन एस, ए.सी.ए., 153, निर्मान अपार्टमैंट्स, मयूर विहार, दिल्ली-110091।	1-10-95
86.	91694	मिस सागर डाली, ए.सी.ए., आरजेडएफ-903/6, राज नगर-2, पालम कोलोनी (नियर चर्च), नई दिल्ली-110045।	1-10-95
87.	91854	श्री इंदरजीत सिंह, ए.सी.ए., केयर ओफ एस हरी सिंह मछियानवाला, विलेज किला रायपुर, पट्टी-सिमिरिया, लुधियाना।	1-10-95
88.	92419	श्री मेहता विशाल, ए.सी.ए., आर्थर एंडरसन एण्ड कं. 426, वर्ल्ड ट्रेड सैन्टर, नई दिल्ली-110001।	1-10-95
89.	82[illegible]56	श्री गर्ग मंगल राम, एफ.सी.ए., ए-3/85, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085।	1-10-95

1	2	3	4
90.	86671	श्री अग्रवाल विपिन, एफ.सी.ए., 1243, सेक्टर 4, अर्बन इस्टेट, गुड़गांव-122001 ।	1-10-95
91.	88692	श्री कंवल जीत सिंह, ए. सी. ए., 18, पनोर्मा कोर्ट, 812, इरोब्लोक, ओन्टारिओ, कनाडा एमएबी 328 ।	1-10-95
92.	91942	मिस रूपराज गिल कौर, ए.सी.ए., 160,1-2,100, स्टील्स एवं वेस्ट ब्रम्पटन, ओन्टारिओ एल गंड वाई 2के3, कनाडा	5-12-94
93.	88928	मिस दिव्या कटयाल, ए.सी.ए., एच नं. 3012, सैक्टर 21-डी, चण्डीगढ़ ।	1-10-95
94.	80366	श्री सोम प्रकाश, एफ.सी.ए., दर-इस-सलाम रोड, पी ओ बोक्स 18727, नैरोबी ।	1-10-95

ए. के. मजुमदार
सचिव

मुम्बई-400005, दिनांक 14 जून 1996

सं. 3 डब्ल्यू सी ए (4) 3/95-96—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा 1 (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है ।

क्र. सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता,	दिनांक
1	2	3	4
1.	00617	श्री बर्टन पैट्रीक फरलींग्स लीग पिटर्सफिल्ड, हन्ट्स, इंग्लैंड यू. के. ।	25-12-94
2.	000751	श्री गोंडालिआ गोवर्धनदास हिरजी, हमाम हाउस, अंबालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400023 ।	28-5-95
3.	001192	श्री लेकशी मनीलाल माधवलाल, महात्मा गांधी रोड, बरोडा ।	05-10-94
4.	001237	श्री बलसारा फिरोज कैखुशरू 804-बी, साई निकेतन, किंग्ज, दादाभाय सर्कल के पास, दादर, मुम्बई-400014 ।	15-09-94
5.	001387	श्री भाफ भिवंडीवाला ओसाभाई, 21, बाझारगेट स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001 ।	02-08-95
6.	001497	श्री मिस्त्री डॉ. बी. के. फ्लैट नं. 16, जीवन धारा, को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, डा. आंबेडकर रोड, पाली हील, बान्द्रा, मुम्बई-400050 ।	26-6-95
7.	001766	श्री ठाकर अमृतलाल मानेकलाल, स्तुतिकुंज, नवरंगपुरा बस स्टैंड के सामने, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 ।	9-7-95
8.	002412	श्री मोहोनी मनोहर गोपाल, पंचदीप अपार्टमेंट्स, आई. टी. आई. काम्प्लेक्स के पास औंध, (पू) पुणे-411007 ।	28-8-95
9.	0025505	श्री शाह नविनचंद्र रतीलाल, प्रभु दर्शन, गालेमण्डी बाजार, सूरत-395003 ।	9-2-95
10.	004252	श्री वाण्डवाला मनन रसनलाल, बिल्डिंग सुजाता, फ्लैट नं. 19, सांताक्रुज, राजपिप्पला, पोलीस स्टेशन के सामने, जुहू रोड, मुम्बई-400054 ।	7-1-95

1	2	3	4
11.	004401	श्री शाह भिकुभाई छोटालाल, गोल्ड मोहर, 1ला मजला, प्रिन्सेस स्ट्रीट, मुम्बई-400002।	27-12-95
12	008660	श्री शाह दिनेश चिनुभाई, ब्लाक नं. 20, 3रा मजला, दर्शन नगर, 53 एस. वी. रोड, अंधेरी (प), मुम्बई-400058	13-3-95
13	009846	श्री मेमन गुलाम हुसैन, मार्फत : एच. जी. पांडोर, मोटामिया मनरोल, पोस्ट आफिस के सामने, पटेल स्ट्रीट, सूरत-394410	8-12-95
14.	009895	श्री कोएलहो जोसेफ, फ्लेट नं. 11, 1ला मजला, 51, चिमबाई रोड, बांद्रा (प) मुम्बई-400050	12-2-95
15.	011691	श्री अब्दुल्ला सैयद अहमद, 1 नवबहार को-आप. हाउसिंग सोसायटी, ललुभाई, अंधेरी, मुम्बई-400056	16-7-95
16.	012352	श्री मेहता सुहास मनीलाल, 1ला मजला, फ्लेट नं. 2, साई विजय अपार्टमेंट्स, 696 शाहापुरी, कोल्हापुर- 426001	14-5-95
17.	013698	श्री अंकालिया शिव राज, 53, राजगीर चैंबर्स, 6वां मजला, 12/14, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुम्बई-400023	1-10-94
18.	013731	श्री मोहीते गुलाब रघुनाथराव, 1086 सदाशिव पेठ, 2रा मजला, शनिवार पेठ, पुणे411030	23-1-96
19.	014950	श्री सामंत विजयकुमार केशव, 8, उदयम मिया महमद कोटाली रोड, माहिम, मुम्बई-400016	25-06-95
20.	015511	श्री कामदार हरीश रमेश, मंडोस हाउस, 2सरा मजला, नागींदास मास्टर रोड, मुम्बई-400023	28-08-95
21.	017245	श्री रविचंद्रन आर., 7, शिवश्री हिमालया, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400084	31-03-94
22.	017597	श्री देशपांडे भालचंद्र, के., 220, वेस्ट विव, 2सरा मजला, सर भालचंद्र रोड, माटुंगा, मुम्बई-400019	31-12-94
23.	030607	श्री राठोड मन्नालाल मंगीचन्द, मनोधार्य जी-2, 39, प्रकाश रोड, अंधेरी (प.), मुम्बई-400058	24-03-95
24.	034242	श्री जोशी जयंतीलाल धनेशके, 16, भगवा निवास, एस. वी. रोड, कांदिवली (प), मुम्बई-400067	08-10-95
25.	036812	श्री गोपालकृष्णा रामास्वामी, नं. 4, शांती प्लाट नं. 84, रोड नं. 2, चेंबूर, मुम्बई-400071	01-04-95
26.	042770	कु. वेंकटेश्वरन प्रभा, 305, साई सदन, मोदी स्ट्रीट, मुम्बई-400001	13-11-95

ए. के. मजूमदार
सचिव

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 जून 1996

सं. एफ. 28-3/96-एन. सी. टी. ई.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) के खण्ड 32 के उप खण्ड (2) की धारा (घ) के उप खण्ड (ii) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे खण्ड 12 की

धारा (ङ) के साथ पढ़ा जाए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार माध्यम से बी. एड. के लिए (दिशा निर्देश) विनियम, 1996 है ।

(2) ये विनियम 7 दिसम्बर, 1995 से लागू माने जाएंगे ।

2. किस पर लागू हैं :

ये विनियम विश्वविद्यालयों, उनकी घटक इकाइयों, खुले/मुक्त विश्वविद्यालयों सहित, उनका चाहे जो भी नाम या पद्धति हो, शिक्षण संस्थानों द्वारा आमने-सामने के पठन-पाठन के माध्यम के अतिरिक्त पत्राचार/दूरवर्ती शिक्षा माध्यम या किसी अन्य माध्यम से चलाए जाने वाले बी. एड. स्नातक पाठ्यक्रम पर लागू होंगे ।

3. परिभाषाएं

संदर्भ के अनुसार जब तक कोई अन्यथा अर्थ न हो, इन विनियमों में—

(1) "अधिनियम" का अर्थ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का संख्या 73) ।

(2) अन्य सभी शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के खण्ड 2 में उनका अर्थ है ।

4. दिशा-निर्देश

उपर्युक्त विनियम 2 में उल्लिखित पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान साथ के अनुबन्ध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे ।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

सेवारत अध्यापकों के बी. एड. पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश

अधिक्षेत्र : प्रत्येक विश्वविद्यालय केवल उन्हीं प्रत्याशियों को प्रवेश देगा जो इस समय उसे विद्यालय में काम कर रहे हैं, जो इस अधिनियम/राज्य सरकार द्वारा उसके लिए निर्धारित भूभौगोलिय अधिक्षेत्र में स्थित है ।

पात्रता के लिए मानदण्ड : स्नातक या अन्य स्तरों पर प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिले के लिए निर्धारित प्रवेश सम्बन्धी योग्यताएं वही रहेंगी जो अध्यापकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा निरूपित हैं अथवा नियमित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित है । दाखिले एक लिखित प्रवेश परीक्षा को साथ किए जाएंगे ।

पाठ्यक्रम : माध्यमिक अध्यापकों के लिए बी. एड. का दूरवर्ती शिक्षा माध्यम ।

स्थान संख्या : किसी भी निर्धारित शिक्षा सत्र में कोई भी विश्वविद्यालय 500 से अधिक प्रत्याशियों का दाखिला नहीं होगा ।

अवधि : बी. एड. पाठ्यक्रम के लिए 24 माह : प्रवेश परीक्षा, दाखिला आदि जैसी औपचारिकताएं पूरी करने में लगे समय को छोड़कर ।

शिक्षण-शुल्क : वही जो विश्वविद्यालय के अन्य बी. एड. के प्रत्याशियों पर लागू है किन्तु मुद्रित सामग्री, श्रव्य-दृश्य सामग्री, डाकखर्च, पुस्तकालय सेवाएं आदि के खर्च के रूप में विद्यार्थियों से अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा सकता है ।

प्रवेश के लिए योग्यताएं : केवल वही नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय के अधिक्षेत्र में स्थित मान्यता-प्राप्त विद्यालयों (प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक) में काम कर रहे हैं और जिन्हें पढ़ाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है ।

कार्यक्रम के संघटक भाग

(क) दूरवर्ती शिक्षा के लिए उपयुक्त फार्मेट में स्वयं पढ़ कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त मुद्रित पाठ्यक्रम सामग्री । नमूने के रूप में मुद्रित सामग्री का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जनसंचार केन्द्रों, सी. आई. ई. टी. तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से परामर्श करके श्रव्य-दृश्य सामग्री (पैकेजेज) की व्यवस्था ।

(ग) नियमित निर्दिष्ट कार्य (एसाइनमेंट) जिसका निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन हो । प्रति सिमेस्टर और प्रत्येक प्रश्नपत्र/पाठ्यक्रम के लिए एक एसाइनमेन्ट (निर्दिष्ट कार्य) रहेगा ।

(घ) चार सप्ताह की अवधि के लिए इन्टर्नशिप (आवासी शिक्षण) जिसके दौरान प्रशिक्षु अध्यापक उस विद्यालय में जहां वे कार्यरत हैं, कम से कम 40 पाठ पढ़ाने का काम प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विभागों के नियमित अध्यापक-शिक्षकों के पर्यवेक्षण के अधीन होगा ।

(ङ) बारह सप्ताह अर्थात् प्रति दिन छ घंटे के अनिवार्य संपर्क कार्यक्रम के 72 दिन । ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के विभागों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों के निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक-प्रशिक्षकों द्वारा ही चलाए जाएंगे, कोई और इन्हें नहीं चला सकेगा । इस अवधि के दौरान यह देखने के लिए कि अपनी इन्टर्नशिप के दौरान प्रत्याशी अध्यापन कार्य में किस सीमा तक दक्षता हासिल कर सके हैं, विशेषज्ञों द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाएगा । किसी भी संपर्क कक्षा में, एक समूह में, 50 से अधिक अध्यापक-प्रशिक्षार्थी नहीं रहेंगे ।

(च) संपर्क कार्यक्रमों के लिए निर्धारित अवधि को छोड़कर परीक्षाएं अन्य निर्धारित दिनों में ली जाएंगी। संपर्क/व्यावहारिक कार्यक्रमों में कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। उपस्थिति में छूट, जो 20 प्रतिशत से अधिक मामलों में ही दी जाएगी, अपवादस्वरूप केवल विशेष मामलों में ही दी जाएगी, सामान्य नियम के रूप में नहीं।

कर्मचारी वर्ग : प्रत्येक 500 विद्यार्थियों के समूह के लिए दस प्रमुख शिक्षण (कोर फैकल्टी) तथा दस अतिरिक्त अंशकालिक दक्ष शिक्षक (स्ट्रिंग फैकल्टी) रहेंगे। नियमित पूर्णकालिक प्रमुख शिक्षक-वर्ग की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी। अंशकालिक शिक्षक वर्ग की भी समान योग्यताएं होनी चाहिए और किसी व्यक्ति को जो 65 वर्ष की आयु का हो चुका है, अंशकालिक शिक्षक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा।

सुरेन्द्र सिंह
सदस्य सचिव

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई, दिनांक 17 जून 1996

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर 111/एसपीडी 92/95-96—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गयी इक्विटी सुअवसर निधि 1996 का पेशकश दस्तावेज, जिसे 8 मई, 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए जी जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

इक्विटी सुअवसर निधि 1996

पेशकश (आफर) दस्तावेज

16 मई, 1996 से 29 जून, 1996 तक पेशकश खुली रहेगी

इक्विटी सुअवसर निधि 1996 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत यूटी आई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई है।

- योजना के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अन्नुमोदित किए गए हैं, न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक वृद्धि योजना है जिसका मूल उद्देश्य इक्विटियों और इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश करने के जरिए निवेशकों को पर्याप्त वृद्धि प्रदान करना है ताकि वे बढ़ते हुए पूंजी बाजार का लाभ प्राप्त कर सकें।

विशिष्टताएं

- यह एक पांच वर्षीय वृद्धि योजना है।
- वर्तमान निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/अवयस्कों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/निगमित निकायों सहित कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों/विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी) विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निधि खुली है।
- आवंटन की तिथि से तीन वर्षों के बाद अर्थात् 1 जुलाई 1999 से एनएवी आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद की अनुमति।
- पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई, ओसीबी और एफआईआई के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय है जहां निवेश विदेश से प्रेषित या एनआरआई खाते/एफसीएनआर जमाओं की राशि से/भारत में प्राधिकृत बैंक में रखे अनिवासी खाते से नामे करके किया जाता है।
- बीएसई और एनएसई पर सूचीकरण।
- पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अधिलाभ और लाभांश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ।

जोखिम के तत्व

- योजना के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों और बाजार को प्रभावित करने वाली शक्तियों पर निर्भर करता है।
- ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
- इक्विटी सुअवसर निधि 1996 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों को सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

- ट्रस्ट 31 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से

लगभग 58,500 करोड़ रुपए की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है।

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। ट्रस्ट ने 1 जुलाई 1964 से काम करना आरम्भ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1. श्री जगदीश कपूर	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट।
2. श्री आर. वी. गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक।
3. श्री एस. एच. खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक।
4. श्री एन. एस. सेकसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि.।
5. डा. अरविंद वीरमणि	सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।
6. श्री पी. आर. खन्ना	सनदी लेखाकार।
7. श्री जे. एस. सालुंखे	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम।
8. श्री पी. जी. काकोडकर	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक।
9. श्री एन. वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि.।
10. श्री जे. वी. शेट्टी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक।

योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ .

(1) यह योजना यूटीआई इक्विटी सुअवसर निधि 1996 (यू टी आई ई ओ एफ 96) कही जाएगी।

(2) यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1 जुलाई 1996 से 30 जून 2001 तक की अवधि के लिए होगी।

(3) यूनिटों की बिक्री 16 मई 1996 से 29 जून 1996 तक 45 दिनों के लिए की जाएगी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

2. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "आवेदक" का अर्थ है योजना के अंतर्गत आवेदन कर्ता और इसमें उन सभी संवर्गों के व्यक्ति विशेष तथा इसके बाद उल्लिखित खंड 11 के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

(घ) 'पात्र संस्था' का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथा परिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(ङ) "सूचीबद्ध" का अर्थ है ऐसे शेयर बाजारों में व्यापार करने के प्रयोजन से यूनिटों को सूचीबद्ध किया जाना जो फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्य है ।

(च) "व्यक्ति" में ऊपर यथा परिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(छ) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है ।

(ज) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें ।

(झ) "विनियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनाई गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(ञ) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जिसे भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत स्थापित किया गया ।

(ट) "समिति" का अर्थ है समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत स्थापित कोई समिति या फिलहाल लागू किसी केन्द्रीय या राज्य कानून के अन्तर्गत स्थापित कोई अन्य समिति ।

(ठ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभाजित शेयर है ।

(ड) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल इस योजना के अंतर्गत बेचे गए और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है ।

(ढ) "यूनिटधारक" योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त अभिव्यक्ति, का अर्थ उस आवेदक से होगा और वह आवेदक उसमें शामिल होगा जिसे योजना के अन्तर्गत यूनिट आवंटित किए गए हैं ।

(ण) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(त) इसमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम/विनियम में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियम में दिए गए हैं ।

(थ) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृ पक्ष या मातृ पक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो ।

(द) "विदेशी निगमित निकाय (ओसीबी)" के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्में, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो ।

(ध) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुलिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक दूसरे के विपर्यय शामिल हैं ।

3. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का मूल्य दस रुपये होगा ।

4. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं ।

निवासी

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप में आवेदन नहीं कर सकता ।

(ग) योजना में यथा परिभाषित पात्र, संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल हैं ।

(घ) योजना में यथा परिभाषित कोई समिति ।

(ङ) पंजीकृत सहकारी समिति ।

(च) अन्य निगमित निकाय लेकिन बैंकों को छोड़कर कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य कम्पनियां ।

(छ) हिन्दू अविभक्त परिवार ।

अनिवासियों द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर ।

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक ।

(ग) अनिवासी हिन्दू अविभक्त परिवार ।

(घ) अनिवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो ।

(ङ) संबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आईआई) ।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किये जाएंगे ।

5. निवेश की न्यूनतम राशि :

आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों (रु. 2000/-) के लिए किया जाएगा और इसके बाद 100 यूनिटों (रु. 1000/-) के गुणकों में किया जाएगा । कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।

रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे ।

6. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अन्तर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 20 करोड़ रुपए है । अत्यधिदान, यदि कोई हो तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा ।

यदि उक्त लक्ष्य राशि का अभिदान नहीं हो ता, ट्रस्ट को आवेदक के खाता चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अन्तर्गत संगृहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः हफ्तों या उसके पहले वापस करना होगा ।

उक्त अनुदग्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बन्द होने की तिथि से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा ।

7. खर्चों पर सीमा :

निर्गम के आरंभिक खर्चे योजना के अंतर्गत एकत्र निधि के 5% से अधिक नहीं होंगे । योजना के प्रारम्भिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण, लेखन सामग्री और डाक व्यय	0.75
प्रचार और मार्केटिंग	1.25
एजेंटों के कमीशन	1.75
बैंक प्रभार	0.25
रजिस्ट्रारों को प्रभार	0.50
स्टाम्प शुल्क और अभिरक्षक शुल्क	0.50
योग	5.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए के कम से कम 95 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा । आरम्भिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 2.55% से अधिक नहीं होगा । अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
*प्रशासनिक व्यय	0.50
अभिरक्षण शुल्क	0.50
मुद्रण, लेखन सामग्री और डाक व्यय	0.50
बैंक प्रभार	0.10
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
**विविध	0.25
योग	2.55

*प्रशासनिक व्ययों में कार्यालय व्यय, किराया कर, टेलिफोन व्यय, वेतन, चिकित्सा व्यय, रख-रखाव लागत आदि शामिल है ।

**विविध खर्चों में वे सभी व्यय शामिल है, जिनका लेखा शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

उपरोक्त व्यय अनुमानित है और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन है । फिर भी, संबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरम्भिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा । इसके अलावा, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

संबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने संबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो संबी के विचाराधीन है । अतः शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां संबी द्वारा जारी विनियमों/विशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी ।

8. भुगतान विधि :

(1) (1) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन-पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । इस योजना के यूनिटों के लिए भुगतान ट्रस्ट द्वारा अनुमत किसी योजना के यूनिटों को ट्रस्ट को सौंप कर भी किया जा सकता है ।

जहां आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किये जाएं, वहीं चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किये जाए, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन किए जाएं ।

लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ भारतीय बैंक संघ के विशानिर्देशों के अनुसार देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है । उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रुपए 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रुपए 20/ है । इस तरह, ड्राफ्ट रुपए 9,980/- (रुपए 10,000/- में रुपए 20/-

घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार योजना के आरम्भिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु जहां यूटीआई का शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा।

(2) यदि भुगतान चैक किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चैक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो, लेकिन आवेदन ड्राफ्ट जारी करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए। यदि आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की शर्तें

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा।

इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है :

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) विदेशी बैंकों/वित्तीय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्क-कर्ता बैंकों पर आहरित हो।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चैक द्वारा।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि द्वारा।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपए में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा प्रेषित किया जाएगा। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे विनिमय की प्रभावी दर पर (ऐसे विप्रेषण के लिए बैंक प्रभार की कटौती करने के बाद) एनआरआई निवेशकों को वापस विप्रेषित कर दिया जाएगा। जोखिम को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित विधियों के द्वारा अदायगी करें।

(ङ) विदेशी संस्थागत निवेशकों को विदेश से सीधे विप्रेषण द्वारा या भारत में प्राधिकृत बैंक में रखे गए विशेष अनिवासी रुपया खाते से अभिदान करना होगा।

(4) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि

(क) जहां एन आर ओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर भविष्य में किसी भी समय प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होंगी।

(ख) यदि भारत के निवासी के रूप में निवेश किया है, अर्थात् जहां निवेश स्थानीय स्रोतों से किया जाता है और निवेशक बाद में अनिवासी बन जाता है तो निवेश, अर्जित आय और पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होंगी।

(2) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा :

(क) ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। योजना में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

राशि अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर वापस की जाएगी।

(3) यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना में संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा

योजना में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन की पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिटें खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेंगी, पूरी करनी होंगी। ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी यूनिट धारिता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद समसूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किए गए आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

9. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों आदि का आवेदन और पंजीकरण:

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी।

(2) कोई भी वयस्क जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उससंबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा ।

आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किए गए कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) पात्र संस्थाएं, निगमित निकायों और सोसाइटियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी संबंधित दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

10. यूनिटों की बिक्री :

प्रक्षेपण की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री मूल्य समरूप पर होगी ।

ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी । बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा । यह इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना में यूनिटधारक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र संस्था/निगमित निकाय के नाम में होगा/होंगे । प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाणपत्र प्रमाणधारकों को भेजने का प्रयास करेगा ।

11. यूनिट प्रमाण पत्र का रूप

यूनिट प्रमाण पत्र 100 यूनिटों के बिक्री लाटों में जारी किए जाएंगे । ऐसे अधिकतम 20 यूनिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे । बाकी यूनिटों के लिए यदि कोई हों, समेकित यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा । समेकित यूनिट प्रमाणपत्र यूनिटधारक के अनुरोध पर बिक्री योग्य लाटों में विभाजित किया जाएगा । प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या और यूनिटधारक का नाम होगा ।

अनिवासी भारतीय यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि का चुनाव कर सकते हैं :

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर या

(ख) आवेदक के संबंधी के भारत के पते पर ।

12. यूनिटों का आवंटन

यूनिटों की आवंटन तिथि 1 जुलाई, 1996 होगी । सभी पूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में 5000 यूनिटों (अर्थात रु. 5000/-) का पक्का आवंटन किया जाएगा और उसके बाद पूरे अभिदान को ध्यान में रखते हुए तथा ऐसे आधार पर जिसे यू टी आई सही और उचित मानेगा, आवंटन पूर्णतः अपने विवेकानुसार करेगा ।

12. यूनिटों का सूचीकरण

(1) यूनिट राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज और बंबई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाएंगे । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने पर स्टाक एक्सचेंज को सूचीकरण के लिए तत्काल आवेदन भेजा जाएगा ।

(2) अपनी धारिता के नकदीकरण का इच्छुक यूनिटधारक दोनों में से किसी भी स्टाक एक्सचेंज के जरिए (जहां योजना के यूनिट सूचीबद्ध हों) यूनिटों का कारोबार कर सकता है ।

(3) बाजार के जरिए यूनिटों का क्रय-विक्रय यूनिटधारक या संभावित यूनिटधारक के जोखिम पर होगा ।

15. यूनिटों का अंतरण/बिक्री रखा जाना/समनुदेशन

इस योजना के अंतर्गत जारी एवं बकाया सभी यूनिट स्वतंत्रता से अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय हैं । स्टाक एक्सचेंजों पर योजना के सूचीबद्ध हो जाने के बाद सभी अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य हैं और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड 4 में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है ।

अंतरण विलेख को स्वीकार करना तथा योजना के अंतर्गत अंतरिती को यूनिटधारक के रूप में प्रवेश देना पूर्णतया ट्रस्ट के विवेक पर होगा ।

(ख) यूनिट धारण करने की क्षमता रखने वाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा । किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए योजना बाध्य नहीं होगी ।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज तथा योजना द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे ।

(ङ) प्रत्येक अंतरण विलेख पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टरों में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा ।

(च) अंतरणकर्ता के स्वस्थाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि के संबंध में रजिस्ट्रार छूट दे सकते हैं ।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखित और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे ।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र या कई यूनिट प्रमाणपत्र अंतरिती को जारी करेंगे ।

(ञ) यदि कोई अंतरिती [illegible] है तो [illegible] तिथि को [illegible] [illegible] अंतरिती यूनिटों के [illegible] पर रजिस्ट्रार [illegible] के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण [illegible] ।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन उक्त अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि के 30 दिनों के भीतर अंतरिती को यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा ।

15. यूनिटों की पुनर्खरीद

(1) ट्रस्ट आबंटन की तिथि से तीन वर्षों के बाद अर्थात् 1 जुलाई 1999 से यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा । इस तारीख से पहले कोई पुनर्खरीद नहीं होगी ।

पुनर्खरीद मूल्य [illegible] [illegible] [illegible] से एनएवी का 5% से अनधिक कम किया जाएगा । आरम्भ में पुनर्खरीद मूल्य 30 जून 1999 तक हर तीन माह में एक बार घोषित किया जाएगा (केवल मूल्य दर्शाने के प्रयोजन के लिए) उसके बाद 1 जुलाई 1999 से पुनर्खरीद कीमत साप्ताहिक आधार पर घोषित की जाएगी ।

(2) यूनिटधारक की मृत्यु की स्थिति में और विधिक प्रतिनिधि द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने पर तथा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र दिए जाने पर, दावे की मान्यता के संबंध में निर्धारित की गई अपेक्षाओं को पूरा किए जाने पर ट्रस्ट यहां ऊपर उपखंड (1) में दिए गए ढंग से ट्रस्ट द्वारा यथा निर्मित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसरण में यूनिटों की पुनर्खरीद करेगा ।

(3) ट्रस्ट द्वारा पुनःखरीदे गए यूनिटों का कटौतियों के बाद, यदि कोई हों, भुगतान स्वीकृति के बाद यथा संभव शीघ्र उस रीति से किया जाएगा जैसा आवेदक ने आवेदन में निर्दिष्ट किया होगा । आवेदक को देय राशि पर किसी भी तरह से ब्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

(4) पुनःखरीदे गए यूनिट पुनः जारी नहीं किए जाएंगे ।

(5) यदि ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रस्ताव पुनर्खरीद स्वीकृत तिथि को उस दिन प्रचलित कीमत पर होगी ।

16. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध

योजना के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे के वार्षिक बंदी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में यूनिटधारकों की पुस्तक बंदी हो ।

स्पष्टीकरण

इस योजना और इसके अंतर्गत बनी योजना के प्रयोजनार्थ शब्द ''कार्य दिवस'' का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही;

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा ।

17. एनएवी और पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को जारी करेगा ।

18. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिकी विधि से लगाया गया होगा ।

जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले किसी व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति न रहा हो ।

किन्तु इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाणपत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत हो तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को हटा सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे ।

19. यूनिट प्रमाणपत्र का आदान-प्रदान और यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक पहले :—

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता।

(2) स्थायी की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता।

(3) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में) ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत नहीं करता।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

इस खंड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपए का भुगतान करें। साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करें।

उपर्युक्त के होते हुए भी, योजना के अंतर्गत यूनिटधारकों को समय-समय पर ऐसे नियम/दिशानिर्देशों/प्रक्रिया विधियों का पालन करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

20. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन

(क) मूल्यांकन की तारीख को बम्बई स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि मूल्यांकन की तारीख को बीएसई बंद रहता है तो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के अंतिम मूल्यों को लिया जाएगा। यदि मूल्यांकन की तारीख को बीएसई और एनएसई दोनों बंद रहते हैं तो इसके ठीक पहले व्यवसाय के दिन बीएसई के अंतिम मूल्यों को लिया जाएगा। जो प्रतिभूतियां बम्बई स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं होंगी उनका मूल्यांकन उनके प्रमुख स्टाक एक्सचेंजों के अंतिम मूल्यों पर किया जाएगा। यदि मूल्यांकन की तारीख से पूर्व तीन माह से अधिक अवधि तक प्रतिभूतियों का व्यवसाय नहीं किया गया हो तो ऐसी प्रतिभूति के मूल्यांकन की विधि ट्रस्ट को जैसा उचित प्रतीत हो, तय की जाएगी ताकि बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन की विधि के अनुसार इसका सही प्राप्य मूल्य दर्शाया जा सके।

(ख) अन्य नियत आयवाली प्रतिभूतियों तथा डिबेंचरों (असूचीबद्ध) का मूल्यांकन वर्तमान आय और समतुल्य लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर अथवा ट्रस्ट जैसा उचित समझे उस तरीके से किया जाएगा।

(ग) सरकार प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार लिखतें और अन्य सभी आस्तियां जिनका मूल्यांकन पूर्वोक्तानुसार न किया जा सके, उनका मूल्यांकन सही मूल्य पर किया जाएगा।

(घ) प्रतिभूतियां जो सूचीबद्ध न हों उनका सही मूल्यांकन बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी की गणना, पुनर्खरीद मूल्य और प्रकटीकरण की उनकी आवर्तित सेबी (एमएफ) के प्रावधानों द्वारा यथा समय निर्धारित विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

21. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना और प्रकटन

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। इस एनएवी को (पर्वूवर्ती आधार पर) योजना की बिक्री समाप्त होने की तिथि के तीन माह साप्ताहिक आधार पर प्रकाशन के लिए प्रेस को सूचित किया जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी होगी जिसमें से एनएवी का 5% से अनधिक कम किया जाएगा। आरम्भ में पुनर्खरीद मूल्य 30 जून 1999 तक हर तीन माह में एक बार घोषित किया जाएगा (केवल मृत्यु दावा मामलों के निपटान के लिए) उसके बाद 1 जुलाई 1999 से पुनर्खरीद कीमत साप्ताहिक आधार पर घोषित की जाएगी।

22. निवेश उद्देश्य और नीतियां

योजना का निवेश उद्देश्य और इसकी नीतियां मुख्यतया योजना की परिपक्वता पर ग्राहक के मध्यावधि और दीर्घावधि पूंजी में वृद्धि प्रदान करना है।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारम्भिक निर्गम संबंधी खर्चों का प्रावधान करने के बाद योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(1) योजना की निधियों के कम से कम 80% का इक्विटियों और इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया

जाएगा। इक्विटी निवेश संबंधी जोखिम तत्व मध्यम से उच्च होंगे।

(2) निधियों का 20% ऋण और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश के जोखिम तत्व न्यूनतम से मध्यम होंगे।

पूर्वोक्त के बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(3) सभी ऋण लिखतें, जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश दर्जे का निर्धारण सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा। बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(4) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिए जाएंगे।

(5) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य असूचीबद्ध ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 10% से अधिक नहीं होगा।

(6) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कम्पनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी।

(7) इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों के 10% से अधिक भाग का किसी एक कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

(8) इस योजना की निधियों सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक भाग किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेश के लिए जारी की गई है और इस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई हो।

(9) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण तात्कालिक आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) योजना से असूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की किसी दूसरी योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(10) यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी।

(11) यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी।

(12) जब कभी सेबी द्वारा अनुमति प्राप्त हो और योजना द्वारा निवेश किए जाने की उपलब्धता हो तो योजना का सहबद्ध लिखतों में निवेश किया जा सकेगा।

23. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना

जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़ कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

24. यूनिट धारकों का रजिस्टर

यूनिट धारकों को पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे—

(1) ट्रस्ट द्वारा एक यूनिटधारक पंजी रखी जाएगी और जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्न प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी।

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित यूनिट प्रमाणपत्रों और यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस व्यक्ति के नाम से यूनिट है उसके धारक बनने की तिथि।

(2) किसी सदस्य को अपने नाम और पते में हुए परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किए जाने पर पंजी में तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

(3) पंजियों की बंदी अवधि को छोड़कर, इसमें इसके पश्चात् इस संबंध में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, कार्य-अवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, किन्तु प्रत्येक कार्य-दिवस में कम-से-कम दो घंटे निरीक्षण के लिए खुली रहेगी) सदस्य के निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में वह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसी बंदी की सूचना विज्ञापन के रूप में समाचार पत्र में या अन्य माध्यम से दी जाएगी।

(5) किसी यूनिट के संबंध में पंजी में किसी दायित्व की स्पष्ट, विवक्षित या आन्वयिक सूचना अंकित नहीं की जाएगी।

25. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

योजना में अंकित यूनिटों के संबंध में यूनिटधारक को भुगतान की गई राशि के लिए उसकी रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन माना जाएगा ।

26. आवेदन और अंतरण फार्म पर अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं है और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर मुख्तारनामा रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया है, हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी विधिवत् नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करनी चाहिए ।

27. यूनिटधारकों द्वारा नामांकन

इस योजना के अंतर्गत नामांकन करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

28. यूनिटधारक की मृत्यु

(1) यूनिटों के संयुक्त धारिता के मामले में किसी एक धारक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा उत्तरजीवी को योजना के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति को निरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) किसी एकल यूनिटधारक के मामले में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(3) यूनिटधारक (धारकों) की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिटों के हकदार बनने वाले किसी भी व्यक्ति की ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गए साक्ष्य के प्रस्तुत किए जाने पर मृतक के नाम जमा सभी बकाया यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य दावेदार द्वारा दावे से संबंधित सभी अपेक्षाएं पूरी करने पर, अदा किया जाएगा ।

(4) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिये गये ब्यौरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथा निर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

29. आय वितरण

(1) मध्यम और दीर्घ अवधि में पूंजी वृद्धि प्रदान करने की योजना के उद्देश्य को देखते हुए ट्रस्ट लाभांश की घोषणा नहीं भी कर सकता है ।

आय वितरण, यदि कोई हो, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, प्रत्येक वर्ष 30 जून को वार्षिक लेखों की समाप्ति के बाद जितना जल्दी संभव हो, किया जाएगा । यूटीआई लाभांश की घोषणा के 42 दिनों के अंदर इसे भेज देगा ।

(2) यूनिटधारक के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह जिन यूनिटों का धारक है, उनके संबंध में ट्रस्ट द्वारा घोषित किसी आय को प्राप्त करे और अपने पास रखे । वह इस सब के होते हुए होगा कि चाहे उसने यूनिटों का धन प्राप्त करने के लिए अंतरित कर दिया हो और जब तक अंतरिती ने, जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय-देय होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर अंतरण से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जो प्रावधानों के अन्तर्गत या अन्यथा ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित हों, अपने नाम में पंजीकरण करवाने के लिए जमा न करवा दिए हों ।

स्पष्टीकरण : इस उपखण्ड में विनिर्दिष्ट अवधि इन मामलों में बढ़ाई जाएगी—

(1) अंतरिती की मृत्यु के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा आय का दावा स्थापित करने के लिए, लिए गए वास्तविक समय तक;

(2) अंतरण विलेख के चोरी हो जाने या अंतरिती के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से खो जाने के मामले में उतनी अवधि जितनी अवधि उसके बदले में विलेख में लगे; और

(3) अंतरण से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को जमा करवाने में डाक में होने वाली देरी के मामले में देरी की वास्तविक अवधि तक ।

(3) ऊपर समाहित में से कुछ भी ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक को आय अदा किए जाने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जो आय यूनिटधारक के यूनिटों के संबंध में देय हो गई हो ।

(4) यूनिटधारकों के बीच बांटी जाने वाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

तथापि, योजना के अन्तर्गत बनाई गई प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और यदि परिस्थितियां अनुमति दें तो ट्रस्ट यूनिटधारक द्वारा विलंब से किए गए लाभांश के दावे पर कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित रूप और रीति में यूनिटधारक को यथा संभव क्षतिपूर्ति करेगा ।

(5) यूनिटधारकों को यदि आय वितरित की जाए तो यह चैक या वारंट या ट्रस्ट के बैंकरों, उन स्थानों पर जहां इसके कार्यालय हैं, पर आहरित किसी अन्य लिखत के द्वारा अदा की जाएगी या यूनिटधारक के विकल्प पर बैंक ड्राफ्ट के लिए प्रभार यूनिट धारक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण :

योजना के अन्तर्गत आय वितरण, यदि कोई हो, विनिमय नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा । अनिवासी भारतीय आय वितरण वारंट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम का चुनाव कर सकते हैं :

(क) जब यूनिट विदेश से विदेशी मुद्रा भेज कर खरीदे गए हों या यूनिटधारक के भारत में अनिवासी (बाह्य) खाते में रखे धन से खरीदे गए हों तो :

(1) यूनिटधारक को लाभांश विदेशी मुद्रा में प्रेषित किया जा सकता है बशर्ते यूनिटधारक भारत से बाहर रहना जारी रखे । या

(2) आय वितरण वारंट यूनिटधारक के नाम जारी किया जा सकता है और जैसा कि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है, यूनिटधारक के एन आरई/एनआरओ खाते में जमा किया जा सकता है । या

(3) यह भारत में रहने वाले संबंधी के नाम जारी किया जा सकता है, उसके खाते में जमा किए जाने के लिए उसे भेजा जा सकता है ।

(ख) जब, यूनिट, यूनिटधारक के भारत में अनिवासी (सामान्य) खाते में धन से खरीदे गए हों :

(1) लाभांश यूनिटधारक के अनिवासी खाते में जमा करवाया जा सकता है । या

(2) यह भारत में रहने वाले यूनिटधारक के संबंधी को प्रेषित किया जा सकता है ।

30. विकास प्राथमिकता निधि (डीआरएफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्य जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट की छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है ।

31. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

32. लेखों का प्रकाशन

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों का प्रकाशन करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि की योजना के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ हानि लेखा, अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलिओ विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

सेबी द्वारा नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है । अतः शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां सेबी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी ।

33. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन किया जाएगा ।

34. योजना की समाप्ति

(क) योजना 30.06.2001 को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किस प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशकों को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है

(1) योजना के पांच वर्ष पूरे होने अर्थात 30 जून, 2001 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित है ।

(2) ऐसी कोई घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% यूनिटधारकों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित किए जाने पर, या

(4) यूनिटधारकों के हित में सेबी, ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना को समाप्त की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त

करने वाले कारणों की सूचना समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट-

(1) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को निर्मित और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित यूनिटधारकों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (घ) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टांत में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिटधारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व निधि की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए योजना का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्युच्युअल फण्ड) विनियम 1993 के प्रावधान, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 12 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ यूनिट प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए प्राप्त सदस्यता सूचना, अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे ।

(ट) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

(1) जब यूनिटों की खरीद विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा से की गई हो, यूनिटधारकों को एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा यूनिटधारकों के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो अथवा भारत में प्राधिकृत बैंक के खाते में अनिवासी रुपया खाता से की गई हो तो प्राप्तियां, यूनिटधारक को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं या भारत में यूनिट धारक के खाते में जमा की जा सकती हैं ।

(2) जब यूनिटों की खरीद यूनिटधारक के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा या यूनिटधारक के एनआरओ खाते में राशि जमा की जाएगी ।

35. योजना का यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी होना

इस योजना की शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर इनमें किए गए संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिटधारक और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

36. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार

योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

37. उपबंधों में ढील

केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिये योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी के अनुमोदन से ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी यूनिधारक या यूनिटधारक सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

प्रावधान में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

38. यूनिटधारकों के अधिकार :

1. योजना के अधीन यूनिटधारक को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिटधारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा यूनिटधारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।

4. यूनिटधारकों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

39. यूनिटधारकों को लाभ :

योजना की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिक राशि के संबंध में योजना में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों।

स्रोत पर कर कटौती

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194 के अधीन ट्रस्ट से यह अपेक्षित है कि योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत यूनिटधारकों को देय आय से, यदि ऐसी आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो, 15% की दर से स्रोत पर आय कर काटा जाए।

इसी प्रकार हिन्दू अविभक्त परिवारों को देय आय से, यदि ऐसी आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो, 15% की दर से स्रोत पर आय कर काटा जाए।

वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, एनआरआई द्वारा अनिवासी (सामान्य) खाते से भुगतान के जरिए लिए गए यूनिटों की किसी भी योजना के यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर कटौती करने के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए प्रतिस्थापित कर दी गई है।

कर कटौती नहीं

निवासी

निवासी व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों को, जो स्रोत पर कर कटौती के बिना आय प्राप्त करने के इच्छुक हों, निर्धारित फार्म नं. 15एच में दो प्रतियों में स्व हस्ताक्षरित लिखित में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और निर्धारित तरीके से यह स्थापित करना चाहिए कि उसको/उनको पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा।

स्रोत पर कर की कटौती न करवाने के लिए निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अगले वर्षों के लिए आय विवरण वारण्टों के प्रेषण से कम से कम तीन माह पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जो न्यास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 या 12 या 10(22) या 10(22ए) या 10(23) या 10(23एए) या 10(23सी) के अधीन आते हैं, उनसे आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप में घोषणा के आधार पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में यदि यूनिट सीधे विदेशी मुद्रा के प्रेषण के जरिए या भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते से भुगतान के जरिए या एफसीएनआर जमा राशियों से खरीदे गए हैं तो ऐसे यूनिटों से होने वाली आय पूरी तरह आय कर से मुक्त है।

उपरोक्त मामले में लाभांश की राशि कुछ भी हो, स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी।

कर छूट

योजना के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि के लिए कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। वर्तमान कराधान कानून के अनुसार निवासियों और अनिवासियों (यदि यूनिट अनिवासी सामान्य खाते से भुगतान के जरिए खरीदे गए हैं), लाभांश के द्वारा व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों की आय को 'ईओएफ '96' सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अन्तर्गत यूनिटों से होने वाली आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अधीन रु. 13,000/- की समग्र सीमा तक आय से छूट का लाभ मिलेगा।

योजना से होने वाले कोई दीर्घावधि लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 के निर्देशानुसार कार्रवाई के अधीन होंगे।

योजना के अंतर्गत यूनिटों में निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है।

पात्र न्यासों के लिए

यूनिट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अधीन अनुमोदित प्रतिभूतियां हैं, इसलिए यूनिटों में निवेश करने वाले पात्र न्यास आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और धन के संबंध में कर छूट के योग्य होंगे।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, बम्बई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, आय

आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस के कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मैसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, माणेकजी वाडीया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई।

योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

01-07-1994 से 31-03-1996* की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतें और जिनका निवारण किया गया

योजना	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से लंबित शिकायतें
	जो प्राप्त हुई	जिनका निवारण किया गया	जो लंबित हैं	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	870	776	94	10.80%
सीजीजीएफ	8966	7836	1130	12.60%
सीजीयूएस-91	1220	1106	114	9.34%
सीआरटीएस	246	222	24	9.76%
डीआईयूपी-93	543	386	157	28.91%
डीआईयूपी-95	29	27	2	6.90%
डीआईयूएस-90	1038	972	66	6.36%
डीआईयूएस -91	418	351	67	16.03%
डीआईयूएस-92	575	538	37	6.43%
आईआईएसएफयूएस	14	12	2	14.29%
जीसीजीआई	985	920	65	6.60%
ग्रैंड मास्टर 93	400	312	88	22.00%
जीएमआईएस-91	2393	1996	397	16.59%
जीएमआईएस-92	1152	947	205	17.80%
जीएमआईएफ-92(II)	617	499	118	19.12%
जीएमआईएस-बी-92	347	243	104	29.97%
जीएमआईएसबी-92 (II)	409	308	101	24.69%
जीयूपी-94	1218	1030	188	15.44%
एचयूएस-92	24	5	19	79.17%
एमईपी-91	4337	3630	707	16.30%
एमईपी-92	19980	17787	2193	10.98%
एमईपी-93	2501	2191	310	12.40%
एमईपी-94	3491	3086	405	11.60%
एमईपी-95	239995	23811	21184	0.77%
एमईपी-96	18	10	8	44.44%
मास्टर गेन-92	43255	30778	12477	28.85%
मास्टर ग्रोथ-93	2351	1882	469	19.95%

1	2	3	4	5
एमआईपी–93	1294	1067	277	17.54%
एमआईपी–94 (I)	783	503	280	35.76%
एमआईपी–94 (II)	1122	837	285	25.40%
एमआईपी–94 (III)	1194	1095	99	8.29%
एमआईपी–95	319	249	70	21.94%
एमआईपी–95 (II)	180	167	13	7.22%
एमआईपी–95 (III)	44	37	7	15.91%
एमआईपी–96	2	2	0	0.00%
एमआईएस–90 (I)	1549	1282	267	17.24%
एमआईएस–90 (II)	2026	1766	260	12.83%
एमआईएसएच–93	736	538	198	26.90%
एमआईएसजी–91	2010	1739	271	13.48%
मास्टर प्लस–91	4414	3862	552	12.51%
मास्टर शेयर–86	31932	18199	13733	43.01%
ओमनी प्लान	134	106	28	20.90%
पीईएफ	517	392	125	24.18%
आरबीपी	1705	1594	111	6.51%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	5664	5099	565	9.98%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	967	837	130	13.44%
यूजीएस–2000	60892	56138	4754	7.81%
यूजीएस–5000	13516	11373	2143	15.86%
यूलिप	11003	8907	2096	19.05%
यूएस–64	276473	246559	29911	10.82%
यूएस–92	550	542	8	1.45%
यूएस–95	7	5	2	28.57%
कुल	5404425	464556	75869	14.04%

दिनांक 1-1-1996 से 31-3-1996 तक की अवधि के लिए केवल केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष में प्राप्त शिकायतों को शामिल किया गया है ।

शिकायत लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलम्ब ।

(6) अंतरण/मत्यु दावों/एनआरई के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक निवेश का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री पी पी शास्त्री
महाप्रबंधक
केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय
द्वारा नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
मुम्बई-400020,
दूरभाष : 2003860/2003853
फैक्स (022) 20003865

रजिस्ट्रार

यूटीआई निवेशक सेवा लि. को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059।

पूर्व अंचल : 2, फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, पोस्ट बैग नं. 60, कलकत्ता-700001।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सैयद बिल्डिंग, 45, दूसरी लाइन बीच, मद्रास-600001।

उत्तर अंचल : तेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 8 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400020 में उपलब्ध रहेंगे :

- यूटीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज की प्रति

पूर्ववर्ती प्रति यूनिट सांख्यिकी (1992–93, 1993–94 और 1994–95)
यू एस० 92' ग्रेंड मास्टर ग्रोथ

	यूएस 92			ग्रेंड मास्टर			मास्टरग्रोथ		
	1992–93	1993–94	1994–95	1992–93	1993–94	1994–95	1992–93	1993–94	1994–95
(क) सकल आय	0.24*	0.78*	9.78	0.03*	0.92*	2.85	0.16*	0.20*	30.14
(ख) व्यय	0.40@	0.03@	0.78	0.07@	011@	0.94+	0.08@	0.08@	4.17+
(ग) शुद्ध आय (क–ख)	−0.16	0.75	9.00	−0.0.04	0.82	1.92	0.08	0.11	25.97
(घ) लाभांश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ङ) एनएवी–प्रारम्भ में	—	9.72	19.22	—	10.11	19.18	—	10.	21.42
(प्रति यूनिट)–अन्त में	9.72	19.22	14.42	10.11	19.18	13.74	10.21	21.42	15.16
(च) पुर्नखरीद मूल्य–प्रारम्भ में	—	—	—	—	—	—	—	—	—
अन्त में	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(छ) औसत मासिक शुद्ध	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आस्तियों में खर्च (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ज) पोर्टफोलियों कुल बिक्री दर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(झ) बाजार मूल्य उच्चतम	—	—	—	—	—	18.50	—	—	17.25
न्यूनतम	—	—	—	—	—	10.00	—	—	9.25
(ञ) बिक्री मूल्य (रु० में)									
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(ट) अवधि के अन्त में यूनिटों की संख्या (लाख में)	3022.27	3022.23	2022.08	860.59	754.31	748.40	4462.16	4357.30	4085.99

*संदिग्ध आय के लिए प्रावधान के बाद

@प्रबन्ध व्यय की वसूली के बाद और संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधानों सहित

+ संदिग्ध आय के लिए प्रावधानों सहित

नोट:—लेखा वर्ष जुलाई से जून है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स),

मुंबई-400 020

दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28 वी मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005, दूरध्वनि : 2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, कलकत्ता-700 006, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दक्षिणी अंचल : यू टी आई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517101, उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13 वी मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001, दूरध्वनि : 3329860/3329858.

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय

केन्द्र-1, 29वी मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005, दूरध्वनि : 2181600/2180057.

शाखाएं, जहां आवेदनपत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, दूरध्वनि : 6423043, बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवी मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390 015, दूरध्वनि : 332481, भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462 001, दूरध्वनि : 558308, मुंबई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' जेवीपीडी शापिंग सेन्टर के सामने, गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 049, दूरध्वनि : 6201995, मुंबई : (2) पर्सपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400 703, दूरध्वनि : 7672607, मुंबई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400 020, दूरध्वनि : 2850821/822, (मुम्बई मुख्य शाखा के लिए), मुंबई : (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400 092, दूरध्वनि 8020521, मुंबई : (5) सागर खोनांचा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-400 086, दूरध्वनि : 5162256, इन्दौर : सिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452 001, दूरध्वनि : 22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416 001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्स्वे), नागपुर-140 001, दूरध्वनि : 536893, नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422 001, दूरध्वनि : 72166, पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए. बी. मार्ग, पणजी, गोवा-403 001, दूरध्वनि : 222472, पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411 005, दूरध्वनि : 325954, राजकोट : लल्लुभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360 001, दूरध्वनि : 35112, सूरत : संघी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395 001, दूरध्वनि : 34550.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282 002, दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211 003, दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्पलेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143 001, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एल आई सी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160 017, दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248 001, दूरध्वनि : 26720, जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302 001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79 ई, सिविल लाईन्स, कानपुर-208 001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226 001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : हाइन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141 001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरध्वनि : 3318638/3319786, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड कम्पनी डिपार्टमेन्ट स्टोर के ऊपर), शिमला-171 002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/85/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221 001, दूरध्वनि : 54306/54262/54272.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेम्बर आफ कामर्स, केम्पेगोवडा रोड, बंगलोर-560 009, दूरध्वनि : 2263739, कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम. जी. रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682 011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर-641 018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबर्गी मेन्शन, 4 थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली-580 020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500 001, दूरध्वनि : 511095. मद्रास : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सालाई, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517101/513695, मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्रम रोड, मदुराई-625 001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बालमत्ता रोड, मंगलोर-575 001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695 001, दूरध्वनि : 331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, वोरयूर, तिरुचिरापल्ली-620 003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड

नार्थ, त्रिचूर-680 020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520 002, दूरध्वनि : 74434, विशाखा-पट्टनम् : रत्ना अर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530 016, दूरध्वनि : 548121.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : आशा निवास, 246, लेवीस रोड, भुवनेश्वर-751 014, दूरध्वनि : 56141, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700 001, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781 001, दूरध्वनि : 543131, जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्टुपुर, जमशेदपुर-831 001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवी मंजिल, एग्जिबिशन रोड, पटना-800 001, दूरध्वनि : 235001, सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734 401, दूरध्वनि : 24671.

सं. यूटी/डीबीडीएम/आर 112/एसपीडी 71 एल/95-96 —भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1996 (2) का पेशकश दस्तावेज, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत अधीन बनाई गई मासिक आय योजना 1996(2) के संबंध में है, 8 मई 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए जी जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मासिक आय प्लान 1996 (2)

(पेशकश (आफर) दस्तावेज

6 मई, 1996 से 19 जून, 1996 तक पेशकश खुली रहेगी

मासिक आय प्लान 1996 (2) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 1996 (2) के संबंध में है ।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है । प्लान का उद्देश्य या तो मासिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि तक संचित की गई आय को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है ।

विशिष्टताएं

- एक पांच वर्ष का प्लान है ।
- निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अवस्यकों/हिन्दू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/अलाभकारी कम्पनियों सहित निगमित निकायों (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत) विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी) के लिए खुला है ।
- ट्रस्ट द्वारा पहले वर्ष के लिए न्यूनतम लक्षित लाभांश 15% की दर से (16.08% प्रभावी प्रतिलाभ) प्रस्तावित है । इसे उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों के जरिए अदा किया जाएगा । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में घोषित किया जाएगा और मासिक आधार पर अदा किया जाएगा ।
- मार्च 1997 तक के लिए उत्तर दिनांकित मासिक लाभांश वारंट अग्रिम रूप से दिए जाएंगे ।
- मासिक लाभांश के स्थान पर आय को संचित करने का भी विकल्प भी है ।
- योजना एनएसई पर सूचीबद्ध की जाएगी ।
- 1 जुलाई 1999 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर पुनर्खरीद करने की अनुमति होगी ।

  निवेश का एक भाग इक्विटियों में होने से पूंजीवृद्धि की संभावना ।
- लाभांश और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई तथा ओसीबी के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय है जहां निवेश एनआरआई खाते के नामे करके अथवा एफसी-एनआर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके विप्रेषण द्वारा किया जाता है ।
- पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अभिलाभ और लाभांश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।

जोखिम के तत्व

- प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों पर निर्भर करता है ।
- पहले वर्ष यदि वास्तविक आय 15% प्र.व. न्यूनतम लक्षित लाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, तो सदस्यों को उस हद तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है ।

- ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है । इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है ।

- मासिक आय प्लान' 1996 (2) केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है । निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

- ट्रस्ट 31 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 58,500 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है ।

ट्रस्ट द्वारा अब तक आरंभ किए हुए तीस मासिक आय प्लानों का कार्यनिष्पादन पृष्ठ संख्या 22 पर दी गई तालिका द्वारा दर्शाया गया है ।

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी । इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरम्भ किया ।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है ।

मंडल के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं । यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है ।

न्यासी मंडल

1. श्री जगदीश कपूर —अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. श्री आर. वी. गुप्ता —उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
3. श्री एस. एच. खान —अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
4. श्री एन. एस. संघवरिया —प्रबन्ध निदेशक, गुजरात अंबूजा सिमेन्ट्स लि.
5. डा. अरविंद वीरमणि —सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
6. श्री पी. आर. खन्ना —सनदी लेखाकार
7. श्री जे. एस. सोलुंके —अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री पी. जी. काकोडकर —अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9. श्री एन. वाघुल —अध्यक्ष, आई. सी. आई. सी. आई. लि.
10. श्री जे. वी. शेट्टी —अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कैनरा बैंक

मासिक आय योजना 1996 (2) का ब्यौरा
[एम आई एस 1996 (2)]

1. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :—
   (1) यह योजना मासिक आय योजना 1996 (2) [एम आई एस 1996 (2)] कही जाएगी ।
   (2) यह योजना पांच वर्ष अर्थात् 1 जुलाई 1996 से 30 जून, 2001 तक की अवधि के लिए होगी ।
   (3) यूनिटों की बिक्री 6 मई, 1996 से 19 जून 1996 तक 45 दिनों के लिए होगी ।

बशर्ते, यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेन्जों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों का नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं ।

2. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो ।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड 3 के अंतर्गत आवेदन करता हो ।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है ।

(च) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है ।

(छ) योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों ।

(ज) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो ।

(झ) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है । जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही दूर क्यों न हो, चाहे पितृ पक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो ।

(ञ) "जारी समझे जाने वाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है ।

(ट) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कम्पनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% शेयर की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% फायदाप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल है ।

(ठ) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ड) "मान्यताप्राप्त शेयर बाजार" का अर्थ वह शेयर बाजार है, जिसे फिलहाल प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है ।

(ढ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें ।

(ण) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है ।

(त) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ।

(थ) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है ।

(द) "ट्रेडिंग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के जरिए यूनिटों का खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है ।

(ध) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है ।

(न) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत जिर्गत और शेष यूनिटों को अंकित मूल्य के योग से है ।

(प) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है ।

(फ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिए गए हैं ।

(भ) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल है और सभी पुलिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विषय शामिल है ।

इस योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 13 से पृष्ठ सं. 18 में दिए गए हैं ।

मासिक आय योजना 1996 (2) [एमआईएस'96(2)] के अंतर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1996 (2)[एमआईपी '96 (2)] के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

1. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं ।

2. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपए होगा ।

3. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किए जा सकते हैं ।

निवासी

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक । बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकता ।

(ग) योजना में यथापरिभाषित धार्म संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखित द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल हैं।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए कोई व्यक्ति।

(ङ) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति।

(छ) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निर्मित अलाभकारी कंपनी सहित अन्य निगमित निकाय लेकिन बैंक और कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य कम्पनियां शामिल नहीं हैं।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार।

अनिवासी द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक।

(ग) अनिवासी हिंदू अविभक्त परिवार।

(घ) अनिवासी कम्पनी/विदेशी निगमित निकाय जिसमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जाएंगे।

4. न्यूनतम निवेश राशि

दोनों विकल्पों मासिक और संचयी के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम 200 यूनिटों के लिए और उसके बाद 100 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें।

5. एकत्र की जाने वाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपए होगी। अत्यभिदान, यदि कोई हो, तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा।

यदि लक्ष्य राशि के 60 प्रतिशत का अभिदान नहीं होता तो, ट्रस्ट को आवास के खाता चैक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः हफ्तों में या उसके पहले वापस करना होगा।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान [illegible]ने का जिम्मेदार होगा।

[illegible]ों पर सीमा

[illegible] के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क और अभिरक्षा शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपए में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.10
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
अन्य व्यय	0.80
योग	3.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि को 6% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान प्लान के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा।

सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है, अतः शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां विनियमों/सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी।

7. भुगतान विधि

(1) किसी आवेदक द्वारा आवेशित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन यूटीआई के कार्यालयों में जमा किये जाएं, तो चैक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन किया जाए।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु. 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु. 20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु. 9,980/- (रु. 10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किन्तु जहां ट्रस्ट कार्यालय/संग्रहण केन्द्र/विशेष अधिकृत कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा।

(2) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए, तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन, आवेदन ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे गए समय के भीतर ट्रस्ट या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए।

यदि आवेदित यूनिट के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(3) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट।

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपए में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

इसके अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपए में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपए में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती है, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषण किया जाएगा। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे विनिमय की प्रभावी दर पर ऐसे विप्रेषण के लिए बैंक प्रभार की कटौती करने के बाद एनआरआई निवेशकों को वापस विप्रेषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें।

(4) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं :

आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर राशि वापस की जाएगी।

(3) यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिटें खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा। ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाले व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किए गए आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

8. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिट
होगी।

ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री-संविदा,
हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा
शीघ्र सदस्य के विकल्प पर आवेदक के

प्रमाणपत्र (विधिवत योग्य लाट में) जारी करेगा । ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था और निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/निगमित निकाय के नाम में होगी । प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा ।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 10 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा ।

9. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) अवरुद्ध अवधि तीन वर्ष अर्थात् 30 जून, 1999 तक की होगी । योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्षों के दौरान दावों के निपटान के मामले छोड़कर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी ।

यूनिटों के एनएवी पर आधारित पुनर्खरीद मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) प्रत्येक माह में एक बार घोषित किया जाएगा ।

(2) मासिक आय विकल्प : ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष के पुनर्खरीद के लिए यूनिटों की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एनएवी आधारित मूल्य पर की जाएगी । पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हों, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी । पुनर्खरीद सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित और अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया जाए, के साक्ष्य के साथ सादे कागज पर अनुरोध-पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप में उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर प्रभावी होगी ।

100 यूनिटों के गुणकों में यूनिटों के पुनर्खरीद की अनुमति होगी बशर्ते न्यूनतम 200 यूनिट धारित हों ।

पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह तक के बचे हुए शेष अदत्त आय वितरण वारण्ट ट्रस्ट को सौंपने होंगे ।

पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध-पत्र सहित सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर भावी महीने के लिये यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा ।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारण्ट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिए ट्रस्ट द्वारा रख लिए जाएंगे ।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जाने वाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारण्टों का नया सेट जारी किया जाएगा । पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

(3) पूर्ववर्ती उप-खंडों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट को पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारण्टों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारण्टों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में से घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा । ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध-पत्र/यथोचित रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जाएगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा ।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे। वर्ष के किसी भाग के लिए यूनिट रखने वाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिए, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा ।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध-पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारण्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखंड (2) और (3) में यथा-वर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा ।

(6) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि हो, करने के बाद पुनः खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान स्वीकृति तिथि के बाद यथाशीघ्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में यथाविनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चैक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा ।

(7) संचयी विकल्प :

संचयी विकल्प के अंतर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट और योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के अंतर्गत यूनिट धारण के दूसरे वर्ष से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा । पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी आधार पर होगा ।

पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा ।

पुनर्खरीद की अनुमति सौ यूनिटों के गुणकों में होगी, बशर्ते न्यूनतम धारिता 200 यूनिटों की हो ।

(8) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा ।

(9) पुनर्खरीद मूल्य के परिकलन का आधार यथासमय सेबी द्वारा निर्धारित विनियम, दिशा-निर्देशों के अधीन होगा ।

10. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(1) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(2) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की वार्षिक बंदी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बंद हो ।

स्पष्टीकरण :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य-दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो--

(1) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हो, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही;

(2) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा ।

11. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा ।

12. सूचीबद्धता :

1. योजना के अंतर्गत जारी यूनिट राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाएंगे । सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1993 के विनियम 30 के अनुसार स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा ।

2. सदस्य जो अपनी धारिता का नकदीकरण करने का इच्छुक हो वह ब्रुनएसई के जरिए जिस पर योजना के यूनिट सूचीबद्ध हुए हैं, यूनिटों की बिक्री कर सकता है ।

13. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र :

ट्रस्ट आवेदक को सदस्य के विकल्प पर सदस्यता सूचना यूनिट प्रमाणपत्र (डिपाजिटरी मोड में) जारी करेगा ।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

या

(ख) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर ।

14. सदस्यता सूचना तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा निर्णीत रूप के अनुसार होंगे ।

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोस्टाफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वैध नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो ।

किन्तु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे ।

15. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

सदस्यता सूचना

योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे ।

यूनिट प्रमाणपत्र

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता;

(2) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता;

(3) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में), ट्रस्ट का ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता, और

(4) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता ।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा ।

(2) इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपये का भुगतान करे । साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या

साथ पंजीकरण शर्त सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा ।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत सदस्य को ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे दस्तावेज निष्पादित करने होंगे जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित/अपेक्षित होंगे ।

16. सदस्यों की पंजी :

सदस्यों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया ।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जायगी । ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा । किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन करने वाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी ।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कामकाज के समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथा-निर्धारित उचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य के निःशुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी ।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रहेगी । ट्रस्ट समाचार-पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा ।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी ।

17. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिए किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी ।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, अकेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए) के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है । अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा ।

आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा ।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है । ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के संबंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा ।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी ।

18. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद .

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा ।

19. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) सदस्य विनियमों में उपबंधित सीमा तक नामांकन करने या निरस्त करने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं । हालांकि, यूनिटों के अंतरण की स्थिति में यह सुविधा अंतरिती को उपलब्ध नहीं होगी ।

(2) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा ।

रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एनआरआई नामित किए जा सकते हैं ।

20. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनमें हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी ।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के

अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है ।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जाने वाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा वांछा संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा ।

(5) यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो । इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, गोजवा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा ।

(7) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिये गये ब्यौरों के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा ।

21. आय वितरण :

सदस्य को मासिक आय विकल्प या संचयी विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा । यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा । आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा ।

(1) मासिक आय विकल्प :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के संदर्भ में वर्ष के दौरान अर्जित की गई शुद्ध आय का 90% से अधिक लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा ।

प्लान में लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेशों पर मूल्य-ह्रास लगाएगा और अपने लेखा परीक्षकों की संतुष्टि करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान भी करेगा और लेखों की टिप्पणियों में मूल्यह्रास की पद्धति भी सूचित करेगा ।

ट्रस्ट न्यूनतम 15% प्रति वर्ष की दर से लक्षित लाभांश पहले वर्ष के लिए उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों द्वारा अदा करने का प्रस्ताव करता है ।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना को पहले वर्ष में निवेशकों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सकेगी । इस न्यूनतम लक्षित प्रतिलाभ को नियत आय वाले निवेशों के लिये प्रचलित दरों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है जिनमें प्लान के अंतर्गत किए गए निवेशों का अधिकांश भाग लगाया जाएगा अर्थात्

कार्पोरेट डिबेंचर-18%

प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए लाभांश दर योजना की आय और संबंधित घटकों पर निर्भर करेगी और प्रत्येक वर्ष के मार्च माह तक घोषित की जाएगी और मासिक आधार पर अदा किया जाएगा । लाभांश दर घोषित किए जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर ट्रस्ट आय वितरण वारंट प्रेषित करने का प्रयास करेगा ।

(2) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारम्भ में देय होगा और पूर्वभुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा ।

ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद बेचे गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे ।

लाभांश की हकदारी निम्न रूप में होगी :

6-5-1996 से 15-5-1996—पूरे महीने का लाभांश
16-5-1996 से 31-5-1996—आधे महीने का लाभांश
1-6-1996 से 15-6-1996—पूरे महीने का लाभांश
16-6-1996 से 19-6-1996—आधे महीने का लाभांश

(3) निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए 30 सितम्बर 1996 तक की अवधि के लिए आय वितरण दिनांक 1 अगस्त 1996 के एक आय वितरण वारंट के द्वारा किया जाएगा और अक्तूबर 96 से मार्च 97 अवधि के लिए 6 उत्तर दिनांकित आय वितरण वारंट जारी किए जाएंगे । कर-कानूनों में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए माह अप्रैल 97 से अग्र 97 के लिए आय वितरण वारंट माह मार्च/अप्रैल 97 में जारी किए जाएंगे । उसके बाद के वर्षों के लिए लाभांश की घोषणा और वारंटों का प्रेषण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :

अवधि	लाभांश की घोषणा	
1-7-1997 से 31-3-1998	मार्च 1997 तक	मार्च-अप्रैल 1997 तक
1-4-1998 से 31-3-1999	मार्च 1998 तक	मार्च-अप्रैल 1998 तक
1-4-1999 से 31-3-2000	मार्च 1999 तक	मार्च-अप्रैल 1999 तक
1-4-2000 से 31-3-2001	मार्च 2000 तक	मार्च-अप्रैल 2000 तक
1-4-2001 से 30-6-2001	मार्च 2001 तक	मार्च-अप्रैल 2001 तक

माह मार्च के लिए आय वितरण वारंट पर तारीख प्रत्येक वर्ष 31 मार्च होगी ।

(4) उप खण्ड (3) के उपबन्ध के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारण्ट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे ।

वारन्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारंट को भुना सके । हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा ।

वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में अदत्त वारंटों को अभ्यार्पित नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारंटों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद की राशि से काट ली जाएगी ।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा एकमात्र नामिति/विधिक उत्तराधिकारी आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा ।

तथापि, आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती/विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिये कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग किसी व्यक्ति के लाभ के लिये आवेदक द्वारा आवेदन किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय वितरण वारंट वापस करने होंगे । लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगने वाले समय के लिये कोई ब्याज या और मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(8) पूर्ववर्ती उपखण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद यथास्थिति, सेबी से पूर्व अनुमति लेकर तिमाही छःमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने का, चाहे व्यय औचित्य, सदस्यों के हित या अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाए, ट्रस्ट का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट अंग्रेजी भाषा के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा सदस्यों को सूचित करेगा । ट्रस्ट द्वारा ऐसी सूचना देने के बाद किसी भी सदस्य को मासिक आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

(9) संचयी विकल्प :

संचयी विकल्प के अंतर्गत आय वितरण नहीं किया जाएगा । निवेश तिथि पर निर्भर करते हुए 30 जून, 1996 तक प्राप्त आय, तीन दशमलव स्थानों तक अतिरिक्त यूनिटों में परिवर्तित की जाएगी और सदस्यों को जारी किया जाएगा । 1 मई, 1996 से अर्जित आय का पुनर्निवेश किया जाएगा और उसे शुद्ध आस्ति मूल्य में दर्शाया जाएगा ।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें । तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे । सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा ।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत लाभांश मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा किया जाएगा । आय वितरण वारंटों को प्राप्त करने के लिए एनआरआई निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकते हैं :

(1) वारंट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा निवेशक के खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो; अथवा

(2) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके।

मासिक आय योजना 1996 (2) [एमआईएस' 96(2)] का ब्यौरा जारी

3. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) शेयरों और डिबेंचरों में सूचीबद्ध निवेश जो मूल्यांकन की तारीख से तीन माह पहले तक उद्धृत न हुए हों उन्हें तो अनुद्धृत निवेश माना जाएगा ।

(ख) उद्धृत निवेशों के मामले में, मूल्यांकन दर मूल्यांकन की तारीख पर बाजार दर होगी या यदि मूल्यांकन की तारीख पर बाजार दर उपलब्ध न हो तो अत्यधिक हाल की उपलब्ध दर होगी जो मूल्यांकन की तारीख से पूर्व तीन माह की अवधि के भीतर हो ।

(ग) निवेश के मूल्य में मूल्य/मूल्यह्रास निर्धारित करने के लिए निवेश की कुल लागत की तुलना कुल बाजार मूल्य के साथ की जाती है। निवेश का बाजार मूल्य निकालने के लिए :

(1) उधृत इक्विटी जिनमें शेयर अवरुद्ध अवधि के अंतर्गत/अधिमान शेयर शामिल हों, को मूल्यांकन दर पर लिया जाता है।

(2) उधृत डिबेंचर और बाण्ड मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं जिसे संचयी ब्याज उधृत होने के मामले में पिछली ब्याज की नियत तारीख से उधृत होने की तारीख तक ब्याज तत्व के लिए बट्टाकृत किया जाता है।

(3) उधृत वारंट मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं।

(4) अनोधृत इक्विटी/अधिमान शेयर (जो सूचीबद्ध हैं किंतु अनोधृत माने जाते हैं, के सहित) को लागत पर लिया जाता है।

(5) अनोधृत डिबेंचर और बाण्ड लागत या प्राप्ति की चालू दर पर अंकित मूल्य में जो कम हो, उस पर लिए जाते हैं।

(6) अनोधृत वारंट, संबंधित शेयरों के मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं जो लाभांश तत्वों के लिए बट्टागत यदि हो, तथा देय अर्जन लागत से कम हो। जहां देय अर्जन लागत, बाजार मूल्य से अधिक हो, ऐसे मामले में वारंट का मूल्य 'शून्य' लिया जाता है।

(7) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड जहां संमिश्र बाजार भाव उपलब्ध नहीं है वहां परिवर्तनीय भाग का बाजार मूल्य मूल्यांकन दर पर लिया जाता है जो संबंधित इक्विटी शेयर को लागू हो तथा लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टागत हो। ऐसे डिबेंचरों और बाण्डों के शेष अपरिवर्तनीय भाग को उपरोक्त (5) के अनुसार लिया जाता है। जहां डिबेंचरों और बाण्डों के परिवर्तनीय भाग के संदर्भ में परिवर्तन की शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख न हो वहां उसे लागत पर लिया जाता है।

(8) मुद्रा बाजार की बाध्यताओं को बही मूल्य पर लिया जाता है।

(9) सरकारी प्रतिभूतियों/प्रमाणपत्रों को बही मूल्य पर लिया जाता है।

(10) जहां परिवर्तन की शर्तें ज्ञात हों, वहां शेयरों/डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग तथा बाण्डों के लिए राइट्स की हकदारी मूल्यांकन दर पर ली जाती है जो संबंधित इक्विटी शेयरों के लिए लागू हो तथा लाभांश तत्व, यदि हो, हेतु, बट्टाकृत हो। ऐसे डिबेंचरों और बांडों के शेष अपरिवर्तनीय भाग को उपरोक्त (5) के अनुसार लिया जाता है।

आस्तियों का मूल्यांकन, एनएवी, पुनर्खरीद मूल्य का अभिकलन तथा उसके प्रकटीकरण की आवृत्ति सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम के प्रावधानों/दिशानिर्देशों/समय-समय पर सेबी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपार्जनों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को हटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प और संचयी विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। इस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) कम से कम 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रत्येक माह में एक बार प्रकाशित किया जाएगा या सेबी द्वारा अनुमोदित अंतराल में प्रकाशित किया जाएगा। आस्तियों के मूल्यांकन की विधि और शुद्ध आस्ति मूल्य का मूल्यांकन सेबी द्वारा यथाप्रभाव निर्धारित विनियमों और दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।

पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी आधारित मूल्य पर (पूर्ववर्ती आधार पर) होगा और प्रत्येक माह में एक बार प्रकाशित किया जाएगा।

5. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता/यूनिट प्रमाणपत्र सूचना जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़ कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है। ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिये आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा।

6. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशीय हैं :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र (सदस्य सूचना नहीं) अंतरणीय है और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड 4 में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यष्टि या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

(ख) यूनिटधारक करने की क्षमता रखने वाले अन्तरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज और अंतरण माह सहित और तक अनुभुनाये गए वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) तथा योजना द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं ।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अंतरित किए जाएंगे ।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरीती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरीती का नाम धारकों के रजिस्टार में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा ।

(च) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे ।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझे को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे ।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे ।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करनेवाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे ।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अविकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या बिक्री लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे ।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को लाभांश वारण्ट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा ।

7. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

योजना का निवेश उद्देश्य और इसकी नीतियां मुख्यतया ग्राहक को नियमित मासिक आय उपलब्ध कराना तथा योजना की परिपक्वता पर ग्राहक की पूंजी में वृद्धि के लिए प्रयास करना भी है ।

योजना के अंतर्गत संगृहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामान्यतः निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(1) निधियों का कम से कम 80% नियत आय प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा । निवेश के जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा ।

(2) निधियों का 20% इक्विटी, इक्विटी संबंधी लिखतों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा । जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में मध्यम से उच्च होगा जबकि मुद्राबाजार लिखतों में किए गए निवेश में वह न्यून से मध्यम होगा ।

पूर्वोक्त के बावजूद मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात इस संबंध में सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है ।

(3) सभी ऋण लिखत जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश वर्ग का निर्धारण सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाएगा बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया है तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा ।

(4) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे ।

(5) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य अनोधृत ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा ।

(6) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी ।

(7) इस योजना सहित योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

(8) इस योजना की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों, डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों में निवेश के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई है ।

(9) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण, स्पाट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं ।

(ग) असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी ।

(11) यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी ।

8. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा ।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके । इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यवसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है ।

9. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा । ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

10. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस वित्त को समाप्त अवधि का योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा । ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ-हानि लेखा, अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हों और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो । ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है । अतः सेबी द्वारा जारी विनियमों/दिशानिर्देशों पर निर्भर करते हुए मूल्यन, व्यय और लेखा नीतियां परिवर्तन के अधीन होंगी ।

11. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्तन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा ।

12. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान का समाप्ति :

(क) प्लान 30-06-2001 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, सदस्यों के बकाया यूनिटों का पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरम्भ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :—

(1) प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 30 जून, 2001 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख को समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(2) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

(3) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(4) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम-से-कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और बम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट :—

(1) इस योजना में संशोधन कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(2) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा ।

(3) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए खण्ड (ञ) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय ली गई तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचअल फंड) विनियम 1993 के प्रावधान, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 12 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाण पत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे ।

(ट) अनिवासी निवेशकों के भारत में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :

(1) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य को एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं ।

(2) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा ।

13. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं ।

14. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

पेशकश दस्तावेज में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा ।

15. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

16. सदस्यों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

स्रोत पर कर की कटौती

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194के के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के अंतर्गत व्यष्टि सदस्यों को देय आय पर

15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो ।

इसी प्रकार हिन्दू अविभक्त परिवारों (एचयूएफ) को देय आय से स्रोत पर 15% की दर से कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 10,000/- से अधिक हो ।

अनिवासी

वित्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को एनआरआई द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधि निर्धारित फार्म गया है जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो ।

कर कटौती नहीं

निवासी

निवासी व्यक्ति और एचयूएफ जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहती हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे इस आशय की निर्धारित रीति से स्थापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर "शून्य" होगा ।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय विवरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जाएगी ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आने वाली पात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों को खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है ।

उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही लाभांश की राशि कितनी भी हो ।

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा । वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "एमआईपी-96(2)" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों [यदि यूनिटों की खरीद अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी के जरिए की गई हो] को यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर तथा लाभांश द्वारा व्यक्तियों एवं एचयूएफ को हुई आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 13,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी ।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा ।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है ।

पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) (बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं । अतः यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे ।

सदस्यों के अधिकार

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है ।

2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर सदस्य लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार है ।

4. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है ।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मिस्त्री कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, बम्बई-400021 में स्थित है ।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी ले और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें । अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करें । जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा । अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्टें अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे ।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस के कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मेसर्स कल्याणी वाला एण्ड मिस्त्री, माणेकजी वाडीया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुम्बई । योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन है ।

01-07-1994 से 31-03-1996* की अवधि के लिए निवेशकों की शिकायतें और जिनका निवारण किया गया

योजना	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से लंबित शिकायतों का प्रतिशत
	जो प्राप्त हुई	जिनका निवारण किया गया	जो लंबित हैं	
1	2	3	4	5
सीसीसीएफ	870	776	94	10.80%
सीजीजीएफ	8966	7836	1130	12.60%
सीजीयूएस-91	1220	1106	114	9.34%
सीआरटीएस	246	222	24	9.76%
डीआईयूपी-93	543	386	157	28.91%
डीआईयूपी-95	29	27	2	6.90%
डीआईयूएस-90	1038	972	66	6.36%
डीआईयू एस-91	418	351	67	16.03%
डीआईयूएस-92	575	538	37	6.43%
आईआईएसएफयू एस	14	12	2	14.29%
जीसीजीआई	985	920	65	6.60%
गैस मास्टर-93	400	312	88	22.00%
जीएमआईएस-91	2393	1996	397	16.59%
जीएमआईएस-92	1152	947	205	17.80%
जीएमआईएस-92 (II)	617	499	118	19.12%
जीएमआईएसबी-92	347	243	104	29.97%
जीएमआईएसबी-92 (II)	409	308	101	24.69%
जीयूपी-94	1218	1030	188	15.44%
एचयूएस-92	24	5	19	79.17%
एमईपी-91	4337	3630	707	16.30%
एमईपी-92	19980	17787	2193	10.98%
एमईपी-93	2501	2191	310	12.40%
एमईपी-94	3491	3086	405	11.60%
एमईपी-95	23995	23811	184	0.77%
एमईपी-96	18	10	8	44.44%
मास्टर गेन-92	43255	30778	12477	28.85%
मास्टर ग्रोथ-93	2351	1882	469	19.95%
एमआईपी-93	1294	1067	277	17.54%
एमआईपी-94 (I)	783	503	280	35.76%
एमआईपी-94 (II)	1122	837	285	25.40%

1	2	3	4	5
एमआईपी–94 (III)	1194	1095	99	8.29%
एमआईपी–95	319	249	70	21.94%
एमआईपी–95 (II)	180	167	13	7.22%
एमआईपी–95 (III)	44	37	7	15.91%
एमआईपी–96	2	2	0	0.00%
एमआईएस–90 (I)	1549	1282	267	17.24%
एमआईएस–90 (II)	2026	1766	260	12.83%
एमआईएसएच–93	736	538	198	26.90%
एमआईएसजी–91	2010	1739	271	13.48%
मास्टर प्लस–91	4414	3862	552	12.51%
मास्टर शेयर–86	31932	18199	13733	43.01%
ओमनी प्लान	134	106	28	20.90%
पीईएफ	517	392	125	24.18%
आरबीपी	1705	1594	111	6.51%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	5664	5099	565	9.98%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	967	837	130	13.44%
यूजीएस–2000	60892	56138	4754	7.81%
यूजीएस–5000	13516	11373	2143	15.86%
यूलिप	11003	8907	2096	19.05%
यूएस–64	276473	246559	29911	10.82%
यूएस–92	550	542	8	1.45%
यूएस–95	7	5	2	28.57%
कुल	540425	464556	75869	14.04%

* दिनांक 1-1-1996 से 31-3-1996 तक की अवधि के लिए केवल केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष में प्राप्त शिकायतों को शामिल किया गया है ।

शिकायत लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना ।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण ।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना ।

(4) मार्ग में ही खो जाना ।

(5) डाक सेवा में विलंब ।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना ।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा ।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना ।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना ।

सभी निवेशक का पूर्ण ब्यौरा देते हुए अपनी शिकायतें निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री पी. पी. शास्त्री

महाप्रबंधक

केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय

द्वारा नं. 1 सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,

मुम्बई-400020.

दूरभाष : 2003860/2003853

फैक्स (022) 2003865

रजिस्ट्रार

यूटीआई निवेशक सेवा लि. प्लाट सं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400059, टेलीफोन : 8216310 को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने के जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिम अंचल : प्लाट नं. 369, मरोल मरोशी रोड, मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व) मुम्बई-400059।

पूर्व अंचल : 2, फेयरली प्लेस, मंजिल, पोस्ट बैग नं. 60, कलकत्ता-700001।

दक्षिण अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सैयद बिल्डिंग, 45, दूसरी लाइन बीच, मद्रास-600001।

उत्तर अंचल : तेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, 8 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1 सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400020 में उपलब्ध रहेगा

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
* एमआईपी 96(2) पेशकश दस्तावेज की प्रति

सारणी

क्र० सं०	प्लान	वार्षिक लाभांश प्रदत्त/देय मासिक.	परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि (%) आश्वासित	वास्तविक	बोनस (%) प्रदत्त/देय
1	2	3	4	5	6
परिपक्व योजनाएं					
1.	एमआईएस–1	12% प्र० व०	—	6	—
2.	एमआईएस–2	12% प्र० व०	—	7	—
3.	एमआईएस–3	12% प्र० व०	—	8	—
4.	एमआईएस–4	12% प्र० व०	—	8	—
5.	एमआईएस–5	12% प्र० व०	—	10	—
6.	एमआईएस–6	12% प्र० व०	2	5.5	1.5
7.	एमआईएस–7	12% प्र० व०	2	6	1.5
8.	एमआईएस–8	12% प्र० व०	2	7	1.5
9.	एमआईएस–9	12% प्र० व०	2	9	1.75
10.	एमआईएस–10	12% प्र० व०	2	9	2.00
11.	एमआईएस–11	12% प्र० व०	2	11	2.25
12.	एमआईएस–12	12% प्र० व०	2	28	2.25
13.	एमआईएस–13	12% प्र० व०	2	40	3.00

1	2	3	4	5	6
प्रचलित योजनाएं					
14.	एमआईएसजी '90	12% प्र० व०	—	—	1%, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर देय
15.	एमआईएसजी '90 (II)	13% प्र० व०	—	—	2%, 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 2% बोनस 5वें वर्ष की समाप्ति पर घोषित
16.	एमआईएसजी '91	13% प्र० व०	—	—	3%, 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित । अतिरिक्त बोनस लाभांश 5वें वर्ष के बाद दिया जाएगा ।
17.	जीएमआईएस '91	14.5% प्र० व० पहले 3 वर्षों के लिए और 15% प्र० व० अंतिम 2 वर्ष के लिए	मासिक आय विकल्प के मामले में परिपक्वता पर न्यूनतम 2%	—	—
18.	जीएमआईएस '92	—वही—	—वही—	—	—
19.	जीएमआईएस '92 (II)	—वही—	—वही—	—	—
20.	जीएमआईएसबी '92	—वही—	—वही—	—	2% बोनस लाभांश घोषित और परिपक्वता पर देय
21	जीएमआईएसबी '92 (II)	14% प्र० व० पहले 2 वर्षों के लिए और 14.5% प्र० व० अंतिम 3 वर्षों के लिए			2% 3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और परिपक्वता पर देय
22.	एमआईएसबी '93	14% प्र० व०	—वही—	—	3रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित किया जाएगा और घोषणा के बाद दिया जाएगा
23.	एमआईपी '93	13.5% प्र० व०	—वही—	—	2रे और 4थे वर्ष की समाप्ति पर घोषित किया जा सकता है और परिपक्वता पर देय होगा

1	2	3	4	5	6	7
24.	एमआईपी '94	पहले दो वर्षों के लिए अर्थात् फरवरी '96 तक 13% प्र० व० और मासिक आय विकल्प के अंतर्गत 13.5% प्र० व० की दर से और संचयी विकल्प के अंतर्गत 1.3.96 से 28.2.96 के लिए 14% प्र० व० की दर से	—	—	—	—
25.	एमआईपी '94 (II)	13% प्र० व० पहले 2 वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय		—	—	—
26.	एमआईपी '94 (III)	12% प्र० व० 1 ले वर्ष के लिए और 13% प्र० व० 2रे वर्ष के लिए देय.		—	—	—
27.	एमआईपी '95	13% प्र० व० 1 ले वर्ष के लिए*		—	—	—
28.	एमआईपी '95 (II)	13.5% प्र० व० 1 ले वर्ष के लिए. और 14% दूसरे वर्ष के लिए*		—	—	—
29.	एमआईपी '95 (III)	14% प्र० व० 1 ले वर्ष के लिए*		—	—	—
30.	एमआईपी' 96	14.5% प्र० व० 1 ले वर्ष के लिए		—	—	—

*बाद के वर्षों के लिए लाभांश दर पहले वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले घोषित की जाएगी ।

यूटीआई के पिछले पांच मासिक आय प्लानों का विवरण

प्लान	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95	एमआईपी 95 (II)	एमआई पी 95 (III)	एम आईपी 96
आरम्भ होने की तिथि	01-01-1995	01-07-1995	01-09-1995	01-01-1996	01-05-1996
समाप्ति की तिथि	31-12-1999	20-06-2002	31-08-2000	31-12-2000	30-04-2001
मासिक लाभांश	पहले वर्ष के लिए 12 प्रतिशत प्र० व० और दूसरे वर्ष के लिए 13 प्रतिशत प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 13 प्रतिशत प्र० व० और दूसरे वर्ष के लिए 14 प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 13.5 प्रतिशत प्र०व०	पहले वर्ष के लिए 14 प्रतिशत प्र० व०	पहले वर्ष के लिए 14.5 प्रतिशत प्र० व०
वृद्धि विकल्प	—	—	—	—	—
संग्रह की गई राशि	रु० 737 करोड़	रु० 537 करोड़	रु० 352 करोड़	रु० 374.39 करोड़	रु० 185.15 करोड़
आवेदन पत्रों की संख्या	209648	172290	147132	138879	65777

पूर्ववर्ती आंकड़े—

पूर्ववर्ती	1992–93					1993–94			
सांख्यिकी	एमआईएस पूल	एमआईएस जी पूल	बीएमआई एम पूल	जीएमआई एम 92 पूल	एमआईएस बी 93 पूल	एमआईएस पूल	एमआईएम जी 90 पूल	जीएम आई एस पूल	जीएमआई एस 92 पूल
(क) सकल आय	21976.66	52603.93	30851.93	7045.47	559 20	27496.13	51887 56	40810.07	13301.68
(ख) व्यय (संविग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान सहित)	571.08	1135.13	1041.91	628.53	173.32	486.12	1274.92	979.94	434.66
(ग) शुद्ध आय	21405.58	51468.52	29810.02	6416.94	385.88	27010 01	50612 61	39830.13	12867 0 2
(घ) लाभांश*	14652.92	43199.38	19278.95	5757.82	0 00	9562.46	47043.45	20441 40	8247.96
(ङ) एनएवी (प्रति यूनिट)									
वर्ष के आरम्भ में	10.71	10.39	11.19	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11.55	10.65	11.06	10.16
वर्ष के अन्त में	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12	14.73	11.35	12.99	11.71
(च) औसत मासिक शुद्ध आस्तियों में व्यय (प्रतिशत)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(छ) पोर्टफोलियो कुल बिक्री दर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ज) बाजार मूल्य									
उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
न्यूनतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(झ) पुनर्खरीद मूल्य									
उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
न्यूनतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ञ) बिक्री मूल्य									
उच्चतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
न्यूनतम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
(ट) अवधि की समाप्ति पर बाकी यूनिटों की संख्या (रु०'000 में)**	104969.69	347161.23	209470.04	62323.85	43104.70	50706.67	354292.41	208431.38	82286.03

*शु० आ० मू० की गणना आरक्षित और पूल में निवेश की कुल अप्राप्त शुद्धि को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

**यूनिटों का अंकित मूल्य (अंक लाख में) दिया गया है। हालांकि सभी पूलों के अन्तर्गत प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य रु० 10 – है और इस प्रकार तदनुसार यूनिटों की संख्या की गणना की जाती है ।

†वोलवर्थ के लिए लाभांशों की गणना की जाती है और उस सीमा तक प्रावधान किए जाते हैं।

मासिक आयोजनाएं

							1994-95			
एमआईएस बी 93 पूल	एम आईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईएम जी 90 पूल	जीएमआई एम पूल	जीएमआई एसबी 92 पूल	एमआईएस बी93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95
13991.33	2443.14	198.33	50382.00	36865.00	15196.00	18030.00	5853.00	7227.00	3978.00	
957.44	256.01	175.07	1550.00	1000.00	500.00	980.00	2583.00	2976.00	2057.00	13.00
13033.89	2187.13	23.26	1117.00	5234.00	2642.00	−1820.00	−2548.00	−3890.00	−2779.00	−13.00
11822.55	2106.70	0.00	*47715.00	*30361.00	*12054.00	*18870.00	*5818.00	*8141.00	*4700.00	0.00
10.12	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	11.35	12.99	11.71	10.90	10.06	10.10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.96	10.06	10.10	10.92	12.50	11.12	10.02	9.45	9.37	9.49	9.49
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
133731.35	44552.45	38233.01	381368.00	205931.00	82116.00	133068.00	44552.46	61861.00	73500.00	16589.00

दिनांक 31-12-1990 को आय उन्मुख योजनाओं के पूर्ववर्ती आंकड़े

विवरण	एमआईएमजी 90*	जीएमआईएस*	जीएसआई एमजी92*	एमआईएसओ 93	एमआईपी 94	एमआईपी० 94(II)	एमआईपी० 94(III)	एमआईपी० 95	एमआईपी० 95(II)	एमआईपी० 95(III)
क. कुल आय	284.23	218.09	82.87	103.99	39.28	40.00	45.54	36.58	16.14	2.49
ख. व्यय (प्रावधानों सहित)	29.30	6.99	21.90	14.73	15.77	24.37	23.10	14.14	1.80	0.62
ग. शुद्ध आय (क-ख)	254.93	209.10	60.97	89.26	23.51	15.63	22.44	22.44	14.34	1.87
घ. लाभांश	252.64	103.61	42.04	60.71	22.44	29.26	33.89	21.02	10.43	—
ङ. एनएवी										
#आरपी	10.90	13.02	11.49	10.78	9.86	9.58	10.53	10.05	—	—
#अन्तिम	10.65	12.87	11.65	10.73	8.89	9.35	9.25	9.90	10.13	11.41
च. पुनर्खरीद	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आरंभी										
अन्तिम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
छ. औसत मासिक										
शुद्ध	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आस्ति को व्यय (%)										
ज. पोर्ट फोलियो										
टर्नओवर पर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झ. बाजार मूल्य										
अधिकतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ञ. बिक्री मूल्य										
अधिकतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ट. यूनिटों की संख्या										
(लाख में)	36,195.34	20,283.91	8,121.04	13,247.75	4,401.50	6,154.68	7,365.59	5,581.94	3,238.25	1,820.99

*ये पूल योजनाएं है।

#दिनांक 30-6-1995 को

$दिनांक 31-12-1995 को (अर्धवार्षिक पलेखा परीक्षा के परिणामों के अनुसार)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाइन्स),

मुंबई-400 020

दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28 वी मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005, दूरध्वनि : 2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, कलकत्ता-700 006, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दक्षिणी अंचल : यू टी आई हाउस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517101, उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13 वी मंजिल, टावर 2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001, दूरध्वनि : 3329860/3329858.

पश्चिमी अंचल के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

मुंबई मुख्य शाखा कार्यालय

केन्द्र-1, 29 वी मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005, दूरध्वनि : 2181600/2180057.

शाखाएं, जहां आवेदनपत्र जमा किए जा सकते हैं

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009, दूरध्वनि : 6423043, बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390 015, दूरध्वनि : 332481, भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462 001, दूरध्वनि : 558308, मुंबई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' जेवीपीडी शापिंग सेन्टर के सामने, गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400 049, दूरध्वनि : 6201995, मुंबई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आन्ध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400 703, दूरध्वनि : 7672607, मुम्बई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400 020, दूरध्वनि : 2850821/822, (मुम्बई मुख्य शाखा के लिए), मुंबई : (4) श्रद्धा शापिंक आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400 092, दूरध्वनि 8020521, मुंबई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, सीत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-400 086, दूरध्वनि : 5162256, इन्दौर : सिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452 001, दूरध्वनि : 22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, कोएच-1/2, 'ई' वार्ड, बाबोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416 001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्स्वे), नागपुर-140 001, दूरध्वनि : 536893, नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422 001, दूरध्वनि : 72166, पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए. बी. मार्ग, पणजी, गोवा-403 001, दूरध्वनि : 222472, पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411 005, दूरध्वनि : 325954, राजकोट : लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360 001, दूरध्वनि : 35112, सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395 001, दूरध्वनि : 34550.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282 002, दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211 003, दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्पलेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143 001, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एल आई सी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160 017, दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248 001, दूरध्वनि : 26720, जयपुर : आनन्द भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302 001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79 इ, सिविल लाइन्स, कानपुर-208 001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226 001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : होहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141 001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन (पिछला ब्लाक), दूसरी

मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, दूरध्वनि : 3318638/3319786, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड कम्पनी डिपार्टमेन्ट स्टोर के ऊपर), शिमला-171 002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221 001, दूरध्वनि : 54306/54262/54272.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केन्द्र, चेम्बर आफ कामर्स, केम्पेगौडा रोड, बंगलोर-560 009, दूरध्वनि : 2263739, कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम. जी. रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682 011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स् कालेज रोड, कोयम्बतूर-641 018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबर्गी मेन्शन, 4 थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली-580 020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500 001, दूरध्वनि : 511095. मद्रास : यू. टी. आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517101/513695, मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई-625 001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बालमत्ता रोड, मंगलोर-575 001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695 001, दूरध्वनि : 331415, त्रिची : 104, सलाई रोड, बोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620 003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउन्ड नार्थ, त्रिचूर-680 020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520 002, दूरध्वनि : 74434, विशाखापट्टनम् : रत्ना अर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530 016, दूरध्वनि : 548121.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : आशा निवास, 246, लेवीस रोड, भुवनेश्वर-751 014, दूरध्वनि : 56141, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700 001, दूरध्वनि : 2209391/2205322, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एम एल नेहरु रोड, पानबाजार, गुवाहाटी-781 001, दूरध्वनि : 543131, जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तुपुर, जमशेदपुर-831 001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवी मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800 001, दूरध्वनि : 235001, सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734 401, दूरध्वनि : 24671.

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

(DEPARTMENT OF ADMINISTRATION AND PERSONNEL MANAGEMENT)

Mumbai-400 001, the 4th June 1996

No. 5.—In pursuance of sub-section (1) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India hereby publishes the annexed amendments to the Reserve Bank of India Pension Regulations, 1990 which have received the sanction of the Central Government under Clause (j) of sub-section (2) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

S. A. HUSSAIN
Executive Director

ANNEXURE

AMENDMENTS TO RESERVE BANK OF INDIA PENSION REGULATIONS, 1990

The existing undernoted regulations may be substituted by the following :

Regulation 2(8)(a)

Wife in the case of male employee and husband in the case of female employee.

Regulation 2(8)(b)

Son who has not attained the age of twentyfive years and unmarried daughter who has not attained the age of twentyfive years, including son or daughter adopted legally before retirement, but shall not include son or daughter adopted after retirement; however, a posthumous child is included.

Regulation 6(4)

Where the authority competent to pass the order under sub-Regulation (1) is the Governor, an appeal against such order of the Governor shall lie to the Central Board whose decision shall be binding.

Regulation 7

The Competent Authority may withhold or withdraw a pension or a part thereof, whether permanently or for a specified period, and order recovery from pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Bank if in any departmental or judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave mis-conduct or negligence during the period of his service including service rendered upon re-employment after retirement, provided that the Central Board shall be consulted before any final orders are passd.

Provided that such departmental proceedings if instituted while the employee was in service whether before his retirement or during his re-employment shall after the final retirement of the employee be deemed to be proceeding under this rule and shall be continued and concluded by the authority by which they were commenced in the same manner as if the employee had continued in service. Provided further that no departmental or judicial proceedings, if not initiated while the employee was in service, shall be instituted in respect of a cause of action which arose or in respect of an event which took place more than 4 years before such institution. Where the competent authority orders recovery of pecuniary loss from pension the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of pension admissible on the date of retirement of the employee provided that where a part of pension is withheld or withdrawn, the amount of pension drawn by a pensioner shall not be less than Rs. 375/- p.m. in the case of full time employee, and proportionate amount thereof in relation to rate of wages applicable in the case of part-time employee.

Regulation 32(6)

The period for which family pension is payable shall be as follows :—

(a) in the case of a widow or widower, upto the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(b) in the case of a son, until he attains the age of twentyfive years; and

(c) in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of twenty-five years or until she gets married, whichever is earlier.

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living, the family pension shall be payable to such son or daughter for life in accodance with the instruction issued in this regard by the Bank.

Regulation 32(7)

(a) The family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

(b) If a deceased employee or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child.

(c) Family pension to the children be payable in the order of their birth and the younger of them will not be eligible for family pension unless the elder next above him/her has become ineligible for the grant of family pension.

(DEPARTMENT OF BANKING OPERATION & DEVELOPMENT)

Mumbai-400 005, the 10th June 1996

No. 2088/12.01.001(A)/95-96.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of Resreve Bank of India Act, 1934 the Reserve Bank of India directs that in modification of the notification DBOD. No. FMC (SIFU)60/27.02.010.94-95 dated July 25, 1994, the exemption from maintenance of incremental cash reserve ratio withdrawn with effect from the fortnight beginning August 6, 1994 stands restored with effect from the fortnight beginning June 8, 1996 in respect of Standard Chartered Bank.

J. R. PRABHU
Executive Director

No. 2089/12.01.001(A)/95-96.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of Resreve Bank of India directs that in modification of the notification DBOD. No. FMC(SIFU)60/27.02.010.94-95 dated July 25, 1994, the exemption from maintenance of incremental cash reserve ratio withdrawn with effect from the fortnight beginning August 6, 1994 stands restored with effect from the fortnight beginning June 8, 1996 in respect of Bank of America National Trust and Saving Association.

J. R. PRABHU
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 20th June 1996

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3NCA(8)/2/95-96.—In pursuance of clause (iv) of Regulation 10(1) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled with effect from the dates men-

tioned against their names as they had not paid their annual fee for Certificate of Practice :—

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	003465	Mr. Gupta Jaswant Lall, FCA, C-2/107, Janakpuri, New Delhi-110 058.	01/10/95
2.	005523	Mr. Garg Santosh Narayan, ACA, 2/15, Brij Puri, Opposite Madhu Cinema, Yamunanagr-135 001, (Haryana).	01/10/95
3.	006011	Mr. Tandon Mahesh Kumar, Finance Director, Indian Farmers Fertilizer Coop., 34, Nehru Place, New Delhi-110 019.	01/10/95
4.	007464	Mr. Gupta Pramod Kumar, FCA, Director & Group Vice-President, Modi Xerox Ltd., 98, Nehru Place, New Delhi-110-019.	01/10/95
5.	011975	Mr. Malik Vipin Kumar, FCA, 4 B/116, Dayanand Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110 024	01/10/95
6.	017625	Mr. Satish Kumar, FCA, Opp. Petrol Pump, Near Gill Chow, Link Road, Ludhiana-141 003.	01/10/95
7.	025020	Mr. Krishnan N., FCA, 6E, C P.W.D. Housing Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110 057.	01/10/95
8.	026989	Mr Raghupathi Rao C. V., FCA, WZ-223-A, First Floor, Lane No. 2, Virendar Nagar, New Delhi-110 058.	01/10/95
9.	070858	Mr. Batra Ghaninder Pal Singh, FCA, G. S. Batra & Co., 253/1, Sector 45-A, Chandigarh-160 047.	01/10/95
10.	072089	Mr. Maheshwari Sanjai Kumar, FCA, 16/1A, P & T Quarters, Kali Bari Marg, New Delhi-110 001	01/10/95
11.	072509	Mr. Gupta Vikash Chandra, FCA, E-84, Kalkaji, New Delhi-110 019.	01/10/95
12.	073234	Mr. Padmanabhan R., ACA, C-1200, IFFCO Colony, Sector-17, Gurgaon-122 001. (Haryana).	01/10/95
13.	080330	Mr. Khanna Anil Kumar, FCA, Flat No. 594, Padam Bahadur Mal, Asian Games Village Complex, New Delhi-0.	01/10/95
14.	080390	Mr. Satish Kumar, ACA, C-57, Vivek Vihar, Delhi-110 032	01/10/95
15.	080417	Mr. Ghosh Dipankar Mohan, ACA, Price Water House, 1, London Bridge, London SE1 9QL, England-0.	01/10/95
16.	081764	Mr. Thapar Rajiv, FCA, Rajiv Thapar & Co., J-33, N.D.S.E.-I, New Delhi-110 049.	01/10/95
17.	082017	Mr. Ram Chander, FCA, Ram Chander & Co, 7/62, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110 026.	01/10/95
18.	082059	Mr. Kohli Vinit, ACA, 42-A, Sunder Apartments, GH-10, Paschim Vihar, New Delhi-110 041.	01/10/95
19.	082085	Mr. Jain Rajesh Kumar, FCA, Rajesh K. Jain & Associates, 114, Namdheri Chambers, 9/54, D. B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005.	01/10/95
20.	082264	Mr. Nayyar Puneet, FCA, 5972, Grossbeak Drive, Mississauga, Ontario L5N 6B3, Canada-0.	01/10/95
21.	083875	Mr Krishnamurthy M., ACA, H-7, Nightingale Apartments, Vikaspuri, New Delhi-110 018.	01/10/95
22.	084155	Mr. Sharma Atul, ACA, D-III/3596, Vasant Kunj, New Delhi-110 070.	01/10/95
23.	084230	Mr. Deepak Kumar, FCA, A-74, Vikas Puri. New Delhi-110 018.	01/10/95
24.	084293	Mr. Shailendra Kumar, ACA, 1259, Sector 4, Urban Estate, Gurgaon-122 001.	05/12/94
25.	084329	Mr. Rustagi Sudhir, FCA, Sudhir Rustagi & Co., 10/10, Hailey Road, New Delhi-110 001.	01/10/95
26.	084723	Mr. Bhalla Hardeep, FCA, 3-B, Tagore Nagar, Ludhiana-0.	01/10/95
27.	084922	Mr. Dinesh Kumar, FCA, Dinesh Rustagi & Associates, 954/1, Kanika Bhawan, Bhojpura Maliwara, Nai Sarak, Delhi-110 006.	01/10/95
28.	085103	Ms. Bahri Ritu, ACA, House No. 376, Vikas Kunj, Vikas Puri, New Delhi-110 018.	01/10/95
29.	085163	Mr. Jaipuria Suresh Kumar, FCA, Internal Auditor, Botswana Agricultutal Marketing, Private Bag 0053, Gaborone Bots, Africa-0	01/10/95

1	2	3	4
30.	085480	Mr. Gulati Vikram, FCA, L-28/5, DLF Qutab Enclave, Phase-II, Gurgaon-122 002, (Haryana).	01/10/95
31.	085530	Mr. Agarwal Lalit Kumar, FCA, Dy. Manager (Finance), Maruti Udyog Ltd., Palam Gurgaon Road, Gurgaon-122 015.	01/10/95
32.	085812	Mr. Mittal Atul Kumar, FCA, Atul Kumar Mittal & Associates, A-53, (First Floor), Shivalik, Near Malviya Nagar, New Delhi-110 017	01/10/95
33.	085813	Mr. Goyal Tarun, FCA, Tarun Goyal & Co., 203, Dhaka Chambers, 2069/39, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110 005.	01/10/95
34.	085832	Mr. Goel Sanjay, FCA, Sanjay Goel & Co., J-23, Gangaram Vatika, Tilak Nagar, New Delhi-110 018.	01/10/95
35.	086097	Mr. Bawa Sachin, FFCA, S. Bawa & Co., 83, Navjivan Vihar, New Delhi-110 017.	01/10/95
36.	086105	Mr Kalra Parminder Singh, ACA, EB-110, S.F.S. Flats, G-8 Area, Maya Enclave, New Delhi-110 065.	01/10/95
37.	086141	Mr. Bawa Manoj, ACA, M. Bawa & Co., A-1/275, Safdarjung Enclave, New Delhi-110 029.	01/10/95
38.	086723	Mr. Budhraja Archana, FCA, A-1/270, Safdarjung Enclave, New Delhi-110 029.	05/12/94
39.	086793	M Kharbanda Chander Mohan, ACA, Y-68, Hauz Khas, New Delhi-110 016.	01/10/95
40.	086795	Mr. Agrawal Sandeep Krishna Kumar, ACA, B-13, Tara Apartments, Kalkaji, New Delhi-110 019.	01/10/95
41.	087183	Ms. Singh Tanya A., FCA, 361, Mount Kailash Towers, East of Kailash, New Delhi-110 065.	01/10/95
42.	087191	Ms. Usha Rajeev, ACA, I-110, Ashok Vihar Phase-I, Delhi-110 052.	01/10/95
43.	087402	Mr. Bajaj Jayant, FCA, C-74, Pocket-B, Mayur Vihar Phase-II, Delhi-110 091	01/10/95
44.	087416	Mr. Khandelwal Ajay, FCA, 705, Somdutt Chambers-II, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.	01/10/95
45.	087975	Mr. Agarwal Ashok, ACA, C-78, Surajmal Vihar, Delhi-110 092.	01/10/95
46.	088050	Mr Maghan Yougesh Kumar, ACA, Vivekanand College Staff, Flat No. 4, Type-II, Vivek Vihar, Delhi-110 095.	05/12/94
47.	088415	Ms. Gupta Savita, ACA, 115-A, Pocket-B 3, Keshav Puram, (Old name Lawrence Road), Delhi-110 035.	09/12/91
48.	088999	Mr. Goela Rahul, ACA, B-5, Swasthya Vihar, Delhi-110 092.	01/10/95
49.	089441	Mr. Nataranjan R., ACA, 91A LIG, DDA Flats, Mayapuri, New Delhi-110 064.	05/12/94
50.	089603	Mr. Srinivasa Parthasarathy Ravi, ACA, X-254, Saroiini Nagar, New Delhi-110 023.	01/10/95
51	089877	Mr. Sethia Manoj, ACA, B-270, Vivek Vihar, Delhi-110 095.	01/10/95
52.	089912	Mr Jain Arun, ACA, ZP-26, Maurya Enclave, Pitampura, Delhi-110 034.	05/12/94
53.	090291	Mr. Jain Pradeep, ACA, A-260, First Floor, Defence Colony, New Delhi-110 024.	01/10/95
54.	090293	Ms. Sabo Uma, ACA, 48-D, LIG Flats (RPS), Rajouri, Opp. Mayapuri Govt. Press, Ring Road, New Delhi-110 064.	05/12/94
55.	090824	Ms Grover Shalini, ACA, I-110, Ashok Vihar-I, Delhi-110 052.	01/10/95
56.	090851	Mr Tej Pratap Singh ACA, K. No. 1 Dhaliwal Colony, G.P.O. Road, Patiala-147 001.	05/12/94
57.	090966	Ms. Dhingra Anju, ACA, 182, Avtar Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110 063.	01/10/95
58	091137	Mr. Gupta Anil, ACA, C 4E/57, Pocket-8, Janakpuri, New Delhi-110 058.	01/10/95
59.	091159	Mr. Tipnis Milin M., ACA, 18A, Kohinoor Apartments, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.	01/10/95
60.	091476	Mr. Agarwal Nitin, ACA, D-185, Sarita Vihar, New Delhi-110 044.	01/10/95
61	091552	Mr. Ahuja Sanjay, ACA, C-182, Anand Vihar, Delhi-110 092.	01/10/95

1	2	3	4
62.	091744	Mr. Dhariwal Manish, ACA, C-4/31, East of Kailash, New Delhi-110 065	01/10/95
63.	092142	Mr. Kalra Sanjay, ACA, F-66 Kirti Nagar, New Delhi-110 015.	01/10/95.
64.	092208	Mr. Maheshwari Sharad Kumar ACA, A-2/156, Paschim Vihar, New Delhi-110 063.	01/10/95.
65.	092261	Ms. Mahajan Punia, ACA, 61/19 Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005.	01/10/95
66.	092291	Mr. Krishna Dheeraj Mohan, ACA. Dheeraj & Co., First floor, 2701/13 Ranjeet Nagar, New Delhi-110 008.	01/10/95.
67.	092365	Ms Jain Mamta, ACA. 86-A Pocket B, Mayur Vihar Phase II, New Delhi-110 091.	01/10/95.
68.	092451	Mr. Goyal Manvendra ACA, C/o OC Tandon. 20 Vakil Lane. Ferozeshah Road, New Delhi-110 001.	01/10/95.
69.	092535	Mr. Sharma Rajesh Kumar, ACA, 241, RPS DDA Flats, Mansarowar Park, Shahdara, Delhi-110 032.	01/10/95
70.	73991	Mr. Verma Chandra Shekhar, ACA, G-2, Associated Apts, Plot No. 83, I P Extension. Delhi-110 092.	01/10/95
71.	82444	Mr. Gupta Pankaj, A CA, Flat 302-308-309. 1/42, Lalita Park, Vikas Marg, New Delhi-110 092.	01/10/95
72.	84785	Mr. Khanna Rakesh, ACA, M-115A, Greater Kailash-I, New Delhi-110 048.	01/10/95
73.	86056	Mr. Mittal Pankaj, FCA, C/o Pankaj Mittal & Co., 65/41, New Rohtak Road, New Delhi-110 005.	05/12/94
74.	86222	Mr. Ajay Kumar, FFCA. Rishi Gobind & Associates, 1005,Rohit House. 3, Tolstoy Marg. New Delhi-110 001.	01/10/95
75.	87557	Mr. Dogra Arun Kumar, FCA, Manmohan Singh & Co., 203, CA Chambers, 18/22 WEA, Pusa Lane, Karol Bagh New Delhi-110 005.	01/10/95.
76.	87575	Mr. Jain Krishan Kumar, ACA, J K Jain & Associates, C/o M/s. Jinendra Medical Hall, Patram Gate, Bhiwani.	01/10/95
77.	80806	Mr. Govind Lal Sarda, ACA, Modern Group, 704-705, Ansal Bhawan, 16 K. G. Marg, New Delhi.	1/10/95.
78.	82147	Mr. Munjal Naresh Kumar, FCA Mekaster, 908, Ansal Bhawan, K. G. Marg, New Delhi-110 001.	1/10/95.
79.	82198	Mr. Sood Rajiv, FCA, D-239, Nirman Vihar, Delhi.	1/10/95.
80.	84423	Mr. Singh Jagjit ACA, 9, Shivaji Market, Yamunanagar.	1/10/95.
81.	84672	Mr. Virmani Gulshan, FCA, C/o Khanna Sales Corporation, G. T. Road, Miller Ganj, Ludhiana.	1/10/95.
82.	85650	Mr. Agarwal Sanjiv Kumar, FCA C-46, Retreat C.G.H.S. Ltd., 20 Patpargani, Delhi-110 092.	1/10/95.
83.	88070	Ms. Kapur Anita, ACA, 78, Bhera Enclave, Ring Road, New Delhi-110 041.	1/10/95.
84.	88229	Mr. Saksena Pankaj, FCA 58, Ashok Road. New Delhi-110 001.	1/10/95.
85.	88562	Mr. Rangarajan S, ACA, 153, Nirman Apartments, Mayur Vihar, Delhi-110 091.	1/10/95.
86.	91694	Ms. Saggar Dolly, ACA, RZF-903/6, Raj Nagar-II, Palam Colony (Near Church), New Delhi-110 045.	1/10/95.
87.	91854	Mr. Inderjit Singh, ACA, C/o S. Hari Singh Majhianwala, Village Kila Raipur, Patti-Simiria, Ludhiana.	1/10/95.
88.	92419	Mr. Mehta Vishal ACA, Arthur Andersen & Co., 426, World Trade Centre, New Delhi-110 001.	1/10/95.
89.	82456	Mr. Garg Mangat Ram, FCA, A-3/85, Sector-III. Rohini, Delhi-110 085.	1/10/95.
90.	86671	Mr. Agarwal Vipin, FCA, 1243, Sector-IV, Urban Estate, Gurgaon-122 001.	1/10/95.
91.	88692	Mr. Kanwal Jit Singh, ACA. 18, Panorma Court. 812, Etoblocke, Ontaris, Canada Mav-328.	1/10/95.

1	2	3	4
92.	91942	Ms. Rakhraj Rinu Kaur, ACA, 1601-210, Steeles Ave West, Brampton, Ontario L6Y 2K3, Canada.	5/12/94.
93.	88928	Ms. Divya Katyal, ACA, H. No. 3012, Sector 21-D, Chandigarh.	1/10/95.
94.	80366	Shri Som Parkash, FCA Dar-Es-Salam Road, P. O. Box 18727, Nairobi.	1/10/95.

A. K. MAJUMDAR,
Secretary

Mumbai-400 005, the 14th June 1996

No. 3WCA(4)3/95-96.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that in exercise of the power conferred by clause (a) of the sub-section (i) of 20 of the Chartered Accountants Act 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the date mentioned against their names, the names of the following members :

Sr. No.,	Mrn.,	Member's Name & Address,	Canc. Date
1	2	3	4
1.	000617	Mr. Bray John Patrick Farthings, Liss Petersfield, Hants, England, U.K.	25/12/94
2.	000751	Mr. Gondalia Gordbandas Hirji, Hamam House, Ambalal Doshi Marg, Fort, Bombay-400 023.	28/05/95
3.	001192	Mr. Chokshi Manilal Madhavlal, Mahatma Gandhi Road, Baroda.	05/10/94
4.	001237	Mr. Bulsara Firoze Kaikhushroo, 804-B Sai Niketan, Kingsway, Near Khodadad Circle, Dadar, Bombay-400 014.	15/09/94
5.	001387	Mr Shroff Minocher Dosabhai, 21, Bazargate Street, Fort, Bombay-400 001.	02/08/95
6.	001497	Mr. Mistry E. B. K., Flat No. 16 Jeevan Dhara T A PA, Co. Op. Hsg. Soc. Dr. Ambedkar Road, Pali Hill, Bandra, Bombay-400 050.	26/06/95
7.	001766	Mr. Thaker Amritlal Maneklal, Smrutikunj, Opp. Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad-380 009.	09/07/95
8.	002412	Mr. Mohoni Manohar Gopal, Panchdeep Apt., Next To I.T.I. Complex, Aundh (E), Pune-411 007.	28/08/95
9.	002505	Mr. Shah Navinchandra Ratilal, Prabhu Darshan, Galemandi Bazar, Surat-395 003.	09/02/95
10.	004252	Mr. Khandwala Sanat Ratanlal, Bld. Sujata Flat No. 19, Santacruz Rajpipla, Opp. Police Station, Juhu Road, Bombay-400 054.	07/01/95
11.	004401	Mr. Shah Bhikubhai Chotalal, Gold Mohar, 1st Folor, Pricess Street, Bombay-400 002.	27/12/95
12.	008660	Mr. Shah Dinesh Chinubhai, Block No. 20 III Floor, Yashwant Nagar, 53 S V Road, Andheri (W), Bombay-400 058.	13/03/95
13.	009846	Mr. Memon Gulam Hussain, C/o M G Pandor, Motamiya Manrol, Opp. P.O. Patel Street, Surat-394 410.	08/12/95
14.	009895	Mr. Choelho Ronald Joseph, Flat No. 11 1st floor, 51, Chimbai Road, Bandra (W), Bombay-400 050.	12/02/95
15.	011691	Mr. Abdulla Sayed Ahmed, 1 Navbahar Co-op. Hsg. Society, Lallubhai, Andheri, Bombay-400 056.	16/07/95
16.	012352	Mr. Mehta Suhas Manilal, First Floor Flat No. 2, Sai Vijay Apts. 696 E, Shahpuri, Kolhapur-416 001.	14/05/95
17.	013698	Mr. Anchalya Shiv Raj, 53, Rajgir Chambers 6th Floor, 12/14 Sahid Bhagat Singh Road, Fort, Bombay-400 023.	01/10/94
18.	013731	Mr. Mohite Gulab Raghunathrao, 1086 Sadashiv Peth II Floor, Shanipar, Pune-411 030.	23/01/96
19.	014950	Mr. Damle Vajaykumar Keshav, 8, Udyam Mla Mamomed Chhotani Road, Mahim, Bombay-400 016.	25/06/95
20.	015511	Mr. Kamdar Harish Ramesh, Medows House IInd Floor, Nagindas Master Road, Bombay-400 023.	28/08/95
21.	017245	Mr. Ravichandran R., 7, Thirushri Himalaga, Ghatkopar (W), Bombay-400 084.	31/03/95

1	2	3	4
22.	017597	Mr. Deshpande Bhalchandra K., 220, West View II Floor, Sir Bhalchandra Road, Matunga. Bombay-400 019.	31/12/94
23.	030607	Mr. Rathod Munnalal Memichand, Manodharya G-2, 39, Prakash Road, Andheri (W), Bombay-400 058.	24/03/95
24.	034242	Mr. Joshi Jayantilal Devshanke, 16, Bhagat Nivas, S V Road, Kandivli (W), Bombay-400 067.	08/10/95
25.	036812	Mr. Gopalakrishna Ramaswamy, No. 4, Shanti Polt No. 84, Road No. 2, Chembur, Bombay-400 071.	01/04/95
26.	042770	Ms. Venkateswaran Prabha, 305 Sai Sadan, Modi Street, Bombay-400 071.	13/11/95

A. K. MAJUMDAR
Secretary

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi-110 002, the 14th June 1996

No. F. 28-3/96 NCTE.—In exercise of the powers conferred under Sub-clause (ii) Clause (d) of Sub section (2) of Section 32 read with Clause (e) of Section 12 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations :—

1. Short Title and Commencement :

(i) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Guidlines for B Ed. through Correspondence for regular serving teachers) Regulations 1996.

(ii) They shall come into force with effect from 7th December 1995.

2. Applicability :

These regulations shall be applicable to B.Ed. Degree course through Correspondence/Distance Education mode or any mode other than face to face teaching by institutions including Universities, its Constituent Units, Open Universities called by whatever name and style.

3. Definition :

In these regulations unless the context otherwsie requires :—

(i) "Act" means National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993).

(ii) All other terms shall have the same meaning as contained in Section 2 of the Act.

4. Guidelines :

Institutions offering the course referred to in Regulation 2 above shall follow the Guidelines given in the Annexure.

SURENDRA SINGH
Member Secretary

Annexure

Guidelines for B.Ed. through correspondence for in-service teachers :

Jurisdiction : Each University will admit only those candidates who are currently working in school system located in the territorial jurisdiction assigned to it by the Act/State Government.

Eligibility Criteria : Entry qualifications for admission in terms of marks at graduation or other levels will be the same as prescribed by the State Government for recruitment of Teachers or prescribed for entry to regular teacher education porgrammes. The admissions will be made after a written entrance examination.

Courses : B. Ed. Distance Education Mode for secondary Teachers.

Number of Seats : No University will admit more than 500 candidates in a given academic year.

Duration : 24 months for B. Ed. course exclusive of the time taken for formalities of entrance test, admissions, etc.

Tuition fee : Same as applicable to other B.Ed. candidates of the University. However, extra charges may be levied on the students to cover the cost of print material, audio-visual packages, postage, library services, etc.

Entry Qualifications : Only those regular teachers serving in recognised schools (primary, secondary and higher secondary levels) within the jurisdiction of the University with minimum of three years of teaching experience.

Programme components :

(a) Adequate amount of self-learning printed course material in distance education format. Sample basis evaluation of the printed materials to be conducted by the Committee to be set up by UGC.

(b) Provision for Audio and Video packages in consultation with UGC media centres, CIET and NCTE.

(c) Regular assignments which are duly evaluated within stipulated time. There would be one assignment per semester, and in each of the papers/courses.

(d) An internship of four weeks duration, during which the teacher trainees deliver atleast 40 lessons in the school they serving, 10 of which will be supervised by the regular teacher educators of training institutes/University departments.

(e) Twelve weeks i.e. 72 days of compulsory contact programmes of atleast six hours per day. This will be conducted by eligible teacher educators from the university departments/training colleges and none else. During this period the candidates will be interviewed by experts to see the extent up to which they have mastered teaching skills during internship. No contact class will consist of more than 50 teacher trainees in one group.

(f) Examinations will be conducted on specified days other than the period assigned to the contact programmes. Minimum of 80 per cent attendance in contact/application programmes would be necessary The relaxation in attendance not exceeding 20 per cent could be given only in exceptional cases and not as a general rule.

Staff structure : For every 500 students there will be ten full time core faculty and additional 10 strong part time faculty. The regular full time core faculty will be appointed by following all the conditions prescribed for recruitment by the UGC/NCTE/State/University. Part time faculty will also have similar qualifications and none beyond 65 years of age will be associated as part time faculty members.

SURENDRA SINGH
Member Secretary

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 17th June 1996

No. UT/DBDM/RIII/SPD92/95-96.—Offer Document of the UTI EQUITY OPPORTUNITY FUND 1996, made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 8th May 1996 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

EQUITY OPPORTUNITY FUND 1996

OFFER DOCUMENT

Offer open from May 16, 1996 to June 29, 1996

The unit scheme UTI Equity Opportunity Fund 1996 has been formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), by the Board of Trustees of UTI.

The Scheme particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Scheme Objective

This is a Growth Scheme and primarily aims at providing reasonable growth to the unit holders in the medium to long term through investment in equities & equity related instruments and reap the benefits of a growing capital market.

Highlights

* A five year closed end growth Scheme.

* Open to both resident and non-resident adult individuals/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co. op. Societies/Bodies Corporate including companies registered under the Companies Act, 1956, Overseas Corporate Bodies (OCBs)/FIIs

* Repurchase allowed after three years from the date of allotment i.e. from 1st July, 1999 at NAV based repurchase price.

* Repurchase/Redemption proceeds for NRIs, OCBs and FIIs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit to the NRE account/proceeds from FCNR deposits/Non-Resident rupee account maintained with a designated bank in India.

* Listing on BSE and NSE.

* Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on dividends and capital gains from capital appreciation.

Risk Factors

* Investments in units of the Scheme are subject to market risks and the NAV of the units under the Scheme may go up or down depending on factors and forces affecting the capital markets.

* Performance of the previous Schemes/Plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Scheme will be achieved.

* UTI Equity Opportunity Fund 1996 is only the name of the Scheme and does not in any manner indicate the quality of the Scheme. Investors are urged to study the terms of the offffer carefully before they invest in the Scheme.

Management's Perception of Risk Factors

* The Trust has been in operation for over 31 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,500 crores from over 48 million investors.

Constitution of UTI

Units Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Shri Jagdish Capoor Chairman, Unit Trust of India.
2. Shri R. V. Gupta Deputy Governor, Reserve Bank of India
3. Shri S. H. Khan Chairman, Industrial Development Bank of India
4. Shri N. S. Sekhsaria Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
5. Dr. Arvind Virmani Advisor, Policy Planning, Government of India, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance
6. Shri P. R. Khanna Chartered Accountant
7. Shri J. S. Salunkhe Chairman, Life Insurance Corporation of India
8. Shri P. G. Kadodkar Chairman, SBI.
9. Shri N. Vaghul Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri J. V. Shetty Chairman & Managing Director, Canara Bank

The detailed features of the Scheme are as given below:

I. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) This Scheme shall be called the 'UTI Equity Opportunity Fund 1996' [UTIEOF'96].

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st July 1996 to 30th June, 2001.

(3) Units will be on sale from 16th May, 1996 to 29th June, 1996 for 45 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. DEFINITIONS :

In this Scheme unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for sale or repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Applicant" means an applicant under the Scheme and shall include all those categories of persons more particularly described in clause IV hereinafter mentioned.

(d) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(e) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading in a recognised Stock Exchange which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(f) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(g) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(h) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(i) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(j) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(k) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(l) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(m) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the Scheme and outstanding for the time being.

(n) "Unitholder" used as an expression under the Scheme made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(o) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(p) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(q) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(r) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas Trusts, in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(s) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

III. FACE VALUE OF EACH UNIT

The face value of each unit issued under the Scheme shall be ten rupees.

IV. APPLICATION FOR UNITS

(1) Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(a) individuals either singly or with another individual on joint basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the Scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) a society as defined under the Scheme.

(e) a registered co-operative society.

(f) other bodies corporate including companies registered under the Companies Act, 1956 but excluding banks.

(g) Hindu Undivided Family.

Non-Residents on fully repatriable basis by

(a) Non resident adult individuals either singly or with another individual on joint basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(c) Non-Resident HUF.

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(e) Foreign Institutional Investors (FIIs) Registered with SEBI.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

V. MINIMUM AMOUNT OF INVESTMENT

Application shall be made for a minimum of 200 units (Rs. 2,000/-) and thereafter in multiples of 100 units (Rs. 1,000/-). There will be no maximum limit.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

VI. MINIMUM TARGET AMOUNT TO BE RAISED

Amount of Rs. 20 crores is targeted to be raised under the Scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust.

The Trust shall by A/c Payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units the entire amount collected under the Scheme, if the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VII. LIMITATION ON EXPENSES :

Initial issue expenses may not exceed 5% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under :

Expenses	%
Printing, Stationery & Postage	0.75
Publicity & Marketing	1.25
Commission to agents	1.75
Bank charges	0.25
Registrars Charges	0.50
Stamp Fees and Custodial Fees	0.50
Total	5.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 95 paise will be invested in the Scheme. In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2.55% of the weekly average net asset Value during any accounting Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
*Administrative Expenses	0.50
Custodial Fees	0.50
Printing, Stationery & Postage	0.50
Bank Charges	0.10
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
**Miscellaneous	0.25
Total	2.55

*Administrative expenses includes office expenses, rent, taxes, telephone expenses, salary, medical expenses, maintenance costs etc.

**Miscellaneous expenses includes all expenses which cannot be categorised under the given account heads.

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further. administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the Scheme during the accounting year.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI. The fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

VIII. MODE OF PAYMENT

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Payment for units of this scheme can also be made by surrendering units of such schemes as may be permitted by the Trust.

Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated.

Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-.

Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Scheme.

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the cheque is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) MODE OF INVESTMENT WITH REPATRIATION BENEFITS

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested, income earned thereon and capital appreciation (if applicable) as long as the investor continues to be resident outside India.

Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency.

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) From the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors. Surplus if any, will be remitted back to NRI investors (after deducting bank charges for such remittance) at the ruling rate of exchange. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(e) Foreign Institutional Investors shall pay their subscription by direct remittance from abroad or out of their special Non-Resident Rupee account maintained with a designated bank in India.

(iv) MODE OF INVESTMENT WITHOUT REPATRIATION BENEFITS

(a) Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested, income earned thereon and capital appreciation (if applicable) will not qualify for repatriation out of India at any time in future.

(b) If investment in units has been made as a resident of India, i.e. where investment has been made from locally originated sources and the investor has subsequently become NRI the investment, the income earned thereon and capital appreciation (if applicable) will not be eligible for repatriation out of India.

(2) (a) RIGHT OF THE TRUST TO ACCEPT OR REJECT APPLICATION

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

(b) In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) APPLICANT TO COMPLY WITH REQUIREMENTS UNDER THE SCHEME BEFORE BEING ISSUED UNITS :

Persons applying for units under the Scheme shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed. Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unit holding cancelled and the name deleted from the register of unit holders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

IX. APPLICATION BY AND REGISTRATION OF ELIGIBLE INSTITUTIONS, MINORS, ETC.

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as unit holders.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in Sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of assocaition, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

X. SALE OF UNITS

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible issue to the applicant Unit Certificate/s evidencing that he has been admitted as a Unitholder in the Scheme. Unit Certificate/s issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Unit Certificate/s not later than 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Scheme.

XI. FORM OF UNIT CERTIFICATE

Unit Certificates will be issued in marketable lots of 100 units upto a maximum of 20 unit certificates, for the balance units if any, a consolidated unit certificate will be issued. The consolidated unit certificate shall be split into marketable lots on request from the unitholder. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unit holder.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Unit certificate :

(a) At the applicant's Indian/Foreign address OR

(b) At the applicant's relative's address in India.

XII. ALLOTMENT OF UNITS

The allotment date of Units will be 1st of July, 1996. There shall be a firm allotment of 5000 Units (i.e. Rs. 50,000/-) in respect of all complete applications and thereafter the allotment will be at the discretion of UTI taking into account the overall subscription and on such basis as may be considered fair and equitable by UTI.

XIII. LISTING OF UNITS

(1) The units will be listed on the National Stock Exchange and the Bombay Stock Exchange. An application for listing shall be made to the Stock Exchanges immediately on receipt of the approval of the scheme from the SEBI.

(2) A unitholder desirous of liquidating his holdings may trade the units through either of the Stock Exchanges on which the units of the Scheme are listed.

(3) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or prospective unitholder.

XIV. TRANSFER/PLEDGE/ASSIGNMENT OF UNITS

All units issued under the Scheme and outstanding can be freely transferred, pledged and assigned. All transfers after listing of the Scheme on the Stock Exchanges will be subject to the following terms :—

(a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the Scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause IV of the provisions of the Scheme.

The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unitholder under the Scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and, realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or cretificates.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

XV. REPURCHASE OF UNITS

(1) The Trust will repurchase Units after three years from the date of allotment i.e. from 1st July, 1999. There shall be no repurchase before this date.

The repurchase price shall be the historic NAV less a discount not exceeding 5% of the NAV. The repurchase price shall be declared initially once every three months upto 30th June, 1999 (only for settlement of death claim cases). Thereafter the NAV based repurchase price shall be declared on a weekly basis from 1st July, 1999.

(2) In the event of the death of the Unitholder and on surrender to the Trust by the legal representative of the Unit certificate and he request letter for repurchase, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (1) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust.

(3) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant.

(4) The repurchased units will not be reissued.

(5) Every repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XVI. RESTRICTIONS ON REPURCHASE OF UNITS

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :—

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of unit holders is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation

For the purpose of this Scheme the term "working day" shall mean a day which has not been either:—

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XVII. PUBLICATION OF NAV AND REPURCHASE PRICE

The Trust shall as early as possible after determining the NAV and the repurchase price issue them to the press for publication.

XVIII. MANNER OF PREPARATION OF UNIT CERTIFICATE

The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board of Trustees may, from time to time, determine, and shall be signed on behalf of the Unit Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method.

No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears therein may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust, may, by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIX. EXCHANGE OF UNIT CERTIFICATE AND PROCEDURE WHEN CERTIFICATE IS MUTILATED, DEFACED, LOST ETC.

In case any Unit Certificate shall be multilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, in its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :—

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investgation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

Before issuing any Certificate under the provisions of this clause the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupees Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Certificate.

Notwithstanding the above, the Unitholder under the Scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XX. VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THIS SCHEME

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Bombay Stock Exchange on the date of valuation. If the BSE remained closed on the date of valuation the closing

prices on the National Stock Exchange will be taken for valuation of listed securities. In case both the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange remained closed on the date of valuation the closing prices on the immediate previous trading day of Bombay Stock Exchange will be taken. Those not listed on Bombay Stock Exchange will be valued at closing prices on respective principal Stock Exchanges. If the securities have not been treated for more than three months prior to the date of valuation, then the Trust may value the securities in the manner considered by it to be fair so as to reflect its true realisable value in accordance with method of valuation approved by the Board.

(b) Other fixed income bearing securities, including debentures (unlisted), will be valued on the basis of current yields and maturity value of comparable instruments or in the manner as may be considered to be fair by the Trust.

(c) Govt. securities, Money market instruments and all other assets, not capable of being valued as aforesaid, shall be valued at their book value.

(d) Securities not listed shall be fair valued in accordance with the policy laid down by the Board from time to time.

Valuation of assets, computation of NAV, Repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

XXI. COMPUTATION AND DISCLOSURE OF NET ASSET VOLUE (NAV).

The Net Asset value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisons. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on the date. This NAV (on historic basis) shall be intimated to the press for publication on a weekly basis after three months from the date of closure of sales.

The repurchase price shall be the historic NAV less a discount not exceeding 5% of the NAV. The repurchase price shall be declared initially once every three months upto 30th June, 1999 (only for settlement of death claim cases). Thereafter the NAV based repurchase price shall be declared on a weekly basis from 1st July, 1999.

XXII. INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Investment objectives and policies of the Scheme are to primarily provide medium to long term capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the Scheme shall after providing for all initial issue expenses generally be invested consistent with the objective of the Scheme in the following mainner:—

(i) At least 80% funds of the scheme will be invested in equity and equity related instruments. The risk profile of equity investments will be medium to high.

(ii) Upto 20% of the funds of the scheme will be invested in debt and money market instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

Notwithstanding the aforesaid, the investment in money market instruments will be consistent with the Guidelines of SEBI on the same.

(iii) All debt instruments in which investments are made by the Scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(iv) No term loans will be advanced by this Scheme.

(v) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 10% of the total assets of the Scheme.

(vi) The Scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(vii) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this Scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(viii) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this Scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :—

Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(ix) Transfer of investments from this Scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if:—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The Scheme not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust.

(xi) The Scheme shall not borrow funds to finance its investments.

(xii) The Scheme may invest in derivative instruments as and when permitted by SEBI and available for investment by the Scheme.

XXIII. TRUSTS NOT TO BE ADMITTED AND RECOGNISED FOR THE PURPOSE OF THE SCHEME

The person who is registered as the Unitholder and in whose name a Unit certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the Unitholder and as having any right, title or interest in or to such units, and the Trust may recognise such Unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

XXIV. REGISTER OF UNIT HOLDERS

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unit holders :—

(1) A register of the unit holders shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register *inter alia* :—

(a) the names and addresses of the unit holders;

(b) the number of the Unit certificate and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which person became the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any Unitholder, shall be notified to the Trust which, on being satisfied of such cange and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any Unitholder without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XXV. RECEIPT BY UNITHOLDER TO DISCHARGE TRUST

The receipt of the Unitholder for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme shall be a good discharge to the Trust.

XXVI. APPLICATION AND TRANSFER FORMS SIGNED BY ATTORNEYS

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be, unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

XXVII. NOMINATION BY UNIT HOLDERS

There will be no provision for making nomination under this Scheme.

XXVIII. DEATH OF A UNITHOLDER

(1) In case of death of either of the joint holders of units, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the Scheme.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In case of a single unitholder, the executor or administrators of the deceased unitholder or a holder of succession certificate issued under part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(3) Any person becoming entitle to the units consequent upon the death of a Unitholder(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(4) In the event of death of a single Unitholder during the lock in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arived at by any other method as may be decided by the Trust.

XXIX. INCOME DISTRIBUTION

(1) Consistent with the objective of the Scheme to provide capital appreciation in the medium to long term the Trust may not declare dividend.

The income distribution, if any, after deduction of tax, if any, shall be distributed as soon as may be possible after the closing of the annual accounts as on the 30th of June each year. UTI shall despatch the same within 42 days from the date of declaration of the dividend.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which he is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in his name.

Explanation : The period specified in this sub clause shall be extended :—

(i) in case of death of the transferee, by the actual period taken by his legal representative to establish his claim to the income.

(ii) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

(iii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which he is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders.

However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of dividend by the unit holder.

(5) The income if distributed among the unit holders shall be paid by cheque or warrant or any other instrument drawn on the Trusts bankers at the places where its Officers are situated or, at the option of the unit holder, by a bank draft, the charges for such bank draft, being borne by the unit holder.

Income distribution to Non Resident Indian investor.

Income distribution if any, under the Scheme shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The NRIs may choose any of the following modes to receive income distribution warrants.

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the funds held in the unit holder's Non-Resident (External) account kept in India :—

(i) The dividend can be remitted to the unit holder in foreign exchange provided the unit holder continues to be resident outside India. OR

(iii) It can be issued in the name of a relative who is name of unit holder and can be credited to the unit holder's NRE/NRO Account as mentioned in the application form. OR

(iii) It can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him/her for crediting to his/her Account.

(b) When units have been purchased from funds held in unit holder's Non-Resident (Ordinary) Account in India :—

(i) The dividend can be credited to the unit holder's Non-Resident Account. OR

(ii) It can be remitted to a relative of the unit holder who is resident in India.

XXX. Development Reserve Fund (DRF) Contribution

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

XXXI. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XXXII. Publication of Accounts

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, acounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly acocunts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a Unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI. The fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

XXXIII. Additions and Amendments to the Scheme.

The Board may from time to time add to or other wise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XXXIV. Termination of the Scheme

(a) The Scheme shall stand finally terminated on 30-06-2001, the outstanding units of the unitholders shall be repurchased and the unitholders shall be paid the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the Scheme beyond 5 years. In such an event the Unitholder shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th June, 2001 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(iii) if 75% of the Unit holders pass a resolution that the scheme be wound up ; or

(iv) If the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(c) Where the Scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activties in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the unit holders to consider and pass necessary resolution by simple majority of the unit holders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme in the best interest of the Unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unit holders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the Scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unit holders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in Clause XII(g) of the Scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the Scheme have been completed, the Scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit certificate along with the request letter for repurchase has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with The Unit certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) In case of non-resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the Unitholder's FCNR deposits or from funds held in Unitholder's Non-Resident (External) Account kept in India or Non-Resident Rupee Account maintained with a designated bank in India, the proceeds can be remitted to the Unitholder in foreign currency or credited to the Unitholder's account in India.

(ii) When units have been purchased from funds held in Unitholders Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque may be despatched to the relative of the investor in India or the amount may be credited to the unitholder's NR(.) account

XXXV. SCHEME TO BE BINDING ON UNIT HOLDERS:

The terms of the Scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each Unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme.

XXXVI. POWER TO CONSTRUE PROVISIONS :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXVII. RELAXATION OF PROVISIONS :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax any of the provisions of the Scheme in case of any Unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient with the approval of SEBI.

Any changes in the offer document, shall be with prior approval of SEBI.

XXXVIII. RIGHTS OF UNIT HOLDERS :

1. Unit holders under the Scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Scheme.
2. The Unit holders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Unit holders.
3. The Unit holders are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.
4. The Unit holders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection."

XXXIX. BENEFITS TO THE UNIT HOLDERS :

All benefits accruing under the Scheme in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme shall be available only to the unit holders who hold the units for the full term of the Scheme till its closure.

Deduction of Tax at Source

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @15% from the income payable to individual unit holders under the Scheme if such scheme exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @15% from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

As per finance Act, 1995, Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20@ on income received by NRI in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

No Deduction of Tax

Residents

Resident individuals and HUFs, desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate in the prescribed form no. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the previous year will be nil.

The form prescribed for non deduction of tax at source should be submitted alongwith application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from Income tax.

In the aboe case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of dividend.

Tax Concessions

Taxation for income and capital application under the Scheme will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of dividend) under all schemes of the Trust including "EOF'96" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 13,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the Scheme will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the Scheme is exempted from wealth tax.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Bombay 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai.

The auditors of the scheme are appointed by IDBI and they are subject to change from year to year.

Complaint Received and Redressed for the period 01-07-1994 to 31-03-1995

Complaints Received and Redressed for the period 01-02-1994 to 31-03-1994

SCHEME	NO. OF COMPLAINTS			Pending to Total
	Received	Redressed	Pending	Received
CCCF	870	776	94	10.80%
CGGF	8966	7836	1130	12.60%
CGUS-91	1220	1106	114	9.34%
CRTS	246	222	24	9.76%
DIUP-93	543	386	157	28.91%
DIUP-95	29	27	2	6.90%
DIUS-90	1038	972	66	6.36%
DIUS-91	418	351	67	16.03%
DIUS-92	575	538	37	6.43%
IIISFUS	14	12	2	14.29%
GCGI	985	920	65	6.60%
GRANDMASTER-93	400	312	88	22.00%
GMIS-91	2393	1996	397	16.59%
GMIS-92	1152	947	205	17.80%
GMIS-92(II)	617	499	118	19.12%
GMIS-B-92	347	243	104	29.97%
GMIS-B-92(II)	409	308	101	24.69%
GUP-94	1218	1030	188	15.44%
HUS-92	24	5	19	79.17%
MEP-91	4337	3630	707	16.30%
MEP-92	19980	17787	2193	10.98%
MEP-93	2501	2191	310	12.40%
MEP-94	3491	3086	405	11.60%
MEP-95	23995	23811	184	0.77%
MEP-96	18	10	8	44.44%
MASTERGAIN-92	43255	30778	12477	28.85%
MASTER-GROWTH-93	2351	1882	469	19.95%
MIP-93	1294	1067	277	17.54%
MIP-94(I)	783	503	280	35.76%
MIP-94(II)	1122	837	285	25.40%
MIP-94(III)	1194	1095	99	8.29%
MIP-95	319	249	70	21.94%
MIP-95(II)	180	167	13	7.22%
MIP-95(III)	44	37	7	15.91%
MIP-96	2	2	0	0.00%
MIS-90(I)	1549	1282	267	17.24%
MIS-90(II)	2026	1766	260	12.83%
MIS-H-93	736	538	198	26.90%
MISG-91	2010	1739	271	13.48%
MASTERPLUS-91	4414	3862	552	12.51%
MASTERSHARE-86	31932	18199	13733	43.01%
Omni Plan	134	106	28	20.90%
PEF	517	392	125	24.18%
RBP	1705	1594	111	6.51%
Rajlakshmi U.P.	5664	5099	565	9.98%
Senior Citizen U.P.	967	837	130	13.44%
UGS-2000	60892	56138	4754	7.81%
UGS-5000	13516	11373	2143	15.86%
ULIP	11003	8907	2096	19.05%
US-64	276473	246559	29911	10.82%
US-92	550	542	8	1.45%
US-95	7	5	2	28.57%
TOTAL	540425	464556	75869	14.04%

*For the period 01-01-1996 to 31-03-1996 only complaints received at the Central Investors' Relations Cell are included.

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to the following address :

Shri P P Shastri
General Manager
Central Investors Relations Cell
Unit Trust of India
SNDT Women's University Basement
Door No. 1
Sir Vithaldas Thackersey Marg
Mumbai-400 020
Phone : 2003860/2003853
Fax : (022) 2003865.

Registrars

UTI Investors Service Ltd. has been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, dispatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai-400 059.

East Zone : 2, Fairlie, Place, 1st Floor, P. B. No. 60, Calcutta-700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Buliding, 45, Second Line Beach, Madras-600 001.

North Zone : Tej Building, 3rd Floor, 8, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

- The UTI Act
- The General Regulations
- The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
- Copy of the Offer Document.

HISTORICAL PER UNIT STATISTICS (1992-93, 1993-94 AND 1994-95)
US 92, GRAND MASTER AND MASTER GROWTH

		US92			GRAND MASTER			MASTER GROWTH		
		1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95
(A)	Gross Income	0.24*	0.78*	9.78	0.03*	0.93*	2.85	0.16*	0.20*	30.14
(B)	Expenses	0.40@	0.03@	0.78‡	0.07@	0.11@	0.94‡	0.08@	0.08@	4.17
(C)	Net Income (A—B)	—0.16	0.75	9.00	—0.04	0.82	1.92	0.08	0.12	25.97
(D)	Dividends	—	—	—	—	—		—	—	—
(E)	NAV—Beginning	—	9.72	19.22	—	10.11	19.18	—	10.21	21.42
	(Per Unit)—End	9.72	19.22	14.42	10.11	19.18	13.74	10.21	21.42	15.18
(F)	Repurchase Prices—Beginning	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	End	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(G)	Expenses to Average Monthly Net Assets (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(H)	Portfolio Turnover Rate	—	—	—		—	—	—	—	—
(I)	Market Price Highest	—	—	—	—	—	18.50		—	17.25
	Lowest	—		—	—	—	10.00	—	—	9.25
(J)	Sale Price (In Rs) Highest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lowest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(K)	No. of Units (In Lakhs) At the End of the Period	3022.27	3022.23	3022.08	680.59	754.31	748.40	4462.16	4357.30	4085.99

* After providing for doubtful income.

@ After recovery of management expenses and including provisions for doubtful assets.

‡ Including provisions for doubtful income.

Note : Accounting Year is from July to June.

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marin Lines), Mumbai-400 020. Tel : 206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel : 2181600/ 2181254, Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2205322. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel : 517101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel : 3329860/ 3329858.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE
MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba Mumbai-400 005. Tel. : 2181600/2180057.

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad : B.J. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel. : 6423043. Baroda : 'Meghdhanush' 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Road, Baroda-390 015. Tel. : 332481. Bhopal : 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone 1, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 559308. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Opp. JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 6201995. Mumbai : (2) Parsepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7672607. Mumbai : (3) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 2850821/822 (For Mumbai Main Branch). Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S. V. Road, Borivli (West), Mumbai-400 092. Tel : 8020521. Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (West), Mumbai-400 086. Tel : 5162256. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M. G. Road, Indore-452-001. Tel : 22796. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel : 657315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel : 536893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Floor, M. G. Road, Nasik-422 001. Tel : 72166. Panaji : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A. B. Road, Panaji, Goa-403 001. Tel : 222472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel : 325954. Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel. : 34550.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282 002. Tel : 54408, Allahabad: United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad-211 003. Tel : 50521. Amritsar : Shri Dwarkadcesh Complex, 2nd Floor, Queen's Road, Amritsar- 143 001. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Building, Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel : 543683. Dehradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road, Dehradun-248 001. Tel : 26720. Jaipur : Anand Bhavan (3rd Floor), Sansar Chandra Road, Jaipur-302 001. Tel : 365212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel : 317278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel : 232501. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel : 400373, New Delhi : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar

Marg, New Delhi-110 002. Tel : 3318638/3319786. Shimla : 3, Mall Road, 1st Floor (above Jankidas & Co., Dept. Store), Shimla-171 002. Tel : 4203. Varanasi : 1st Floor, D-582A-1, Bnawani Market Rathyatra, Varanasi-221001. Tel : 54306/54262/54272.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore-560 009. Tel : 2263739. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682 011. Tel : 362354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Road, Coimbatore-641 018. Tel : 214973. Hubli : Kulburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli-580 020 .Tel : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel : 517101/513695. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparankundram Road, Madurai-625 001. Tel : 38186. Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal-Matta Road, Mangalore-575 001. Tel : 426258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M. G. Road, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104 Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel : 27060. Trichur : 28/876/77 West Pallithamam Building, Karunakaran Nambiar Road, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijayawada : 27-37156, Bundar Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel : 74434. Vishakhapatanam : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatanam-530 016. Tel. 548121.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : Asha Niwas, 246, Lewis Road, Bhubaneshwar-751 014. Tel : 56141, Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place. Calcutta-700 001. Tel : 2209391/2205322. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur, Dev. Authority, City Centre, Durgapur 713 216. Tel : 4831. Guwahati : Jeveen Deep, M. L. Nehru Road, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel : 425508. Patna : Jeevan Deep Building, Ground & 5th Floor, Exhibition Road, Patna-800 001. Tel : 235001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri734-401. Tel : 24671.

No. UT/DBDM/R112/SPD71L/95-96.—Offer Document of the Monthly Income Plan 1996 (II), formulated under Section 19 (1) (8) (c)of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the Monthly Income Scheme 1996 (II) made under Section 21 of the said act approved by the Executive Committee in the meeting held on 8th May 1996 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MONTHLY INCOME PLAN 1996 (II)

OFFER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM MAY 06, 1996 TO JUNE 19, 1996

The Monthly Income Plan 1996 (II) has been formulated under Section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1996 (II) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

- The plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations, 1993, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing either regular income on a monthly basis or cumulation of income over a period of 5 years.

Highlights

- A five year Plan.
- Open to resident and non resident adult individuals/mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Cooperative Societies/Bodies Corporate including Non-profit making companies (under Section 25 of Companies Act, 1956) Overseas Corporate Bodies (OCBs).
- The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 15% p.a. payable monthly (effective return 16.08%) for the first year. This will be paid through postdated monthly warrants. Dividend for the subsequent years will be declared by the month of March each year and paid monthly.
- Post dated monthly dividend warrants upto March 1997 will be given in advance.
- There is also an option to cumulate returns instead of monthly dividend.
- The Scheme will be Listed on NSE.
- Repurchase allowed from 1st July 1999 at NAV based repurchase price.
- Scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.
- Dividends and Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.
- Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on dividends and capital gains from capital appreciation.

Risk Factors

- Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on market forces.
- In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 15% p.a. in the first year members may suffer loss of unit capital to that extent.
- Performance of the previous Scheme/Plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Plan will be achieved.
- Monthly Income Plan 1996 (II) is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's Perception of Risk Factors

- The Trust has been in operation for over 31 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,500 crore from over 48 million investors.

Table indicating the performance of thirty Monthly Income Plans of the Trust launched till date is given on page number 22.

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Shri Jagdish Capoor	Chairman, Unit Trust of India
2. Shri R. V. Gupta	Deputy Governor, Reserve Bank of India
3. Shri S. H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
4. Shri N. S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd
5. Dr. Arpind Virmani	Advisor, Policy Planning, Govt of India, Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance
6. Shri P. R. Khanna	Chartered Accountant
7. Shri J. S. Salunkhe	Chairman, Life Insurance Corporation of India
8. Shri P. G. Kakodka	Chairman, S.B.I.
9. Shri N. Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri J. V. Shetty	Chairman & Managing Director, Canara Bank.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1996 (II)

[MIS '96(II)]

1. Short Title and Commencement

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1996 (II) [MIS'96(II)]

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st July, 1996 to 30th June, 2001.

(3) Units will be on sale from 6th May, 1996 to 19th June, 1996 for 45 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same :

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application form when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "Listed" means the listing of Units for the purpose of trading on NSE.

(g) "Member" used as an expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(h) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(i) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Resident of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grant parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(j) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(k) "Overseas Corporate Bodies (OCB)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned directly or indirectly to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such person.

(l) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(m) "Recognised stock exchange" means a stock exchange, which is, for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(n) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(o) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(p) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(q) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(r) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the National Stock Exchange (NSE) after the first allotment of units.

(s) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(t) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(u) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(v) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(w) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

The other provisions of the scheme are available from page No. 13 to page No. 18.

Details of the Monthly Income Plan 1996 (II) [MIP'96(II)] formulated under the Monthly Income Scheme 1996 (II) [MIS'96(II)] are given hereafter.

I. Definitions

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units

(1) Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(a) individuals either singly or with another individual on joint basis.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co-operative society.

(g) other bodies corporate including non-profit making companies formed u/s. 25 of the Companies Act, 1956 but excluding banks and other companies registered under the Companies Act, 1956.

(h) Hindu Undivided Family.

Non-Residents on fully repatriable basis by :

(a) Non-resident adult individuals either singly or with another individual on joint basis.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Nnon-resident minor.

(c) Non-Resident HUF.

(d) Non resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of 200 units and thereafter in multiples of 100 units under both the options—Monthly & Cumulative. There will be no maximum limit.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised

Amount of Rs. 100 crore is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust.

The Trust shall by A/c Payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units the entire amount collected under the scheme, if sixty percent of the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay the interest to the applicants at a rate of 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses

Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under :

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrar Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees & Custodial Fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average weekly Net Asset Value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	1.00
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.10
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Miscellaneous	0.80
Total	3.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average NAV of the plan during the accounting year.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided, however, that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association, e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000/- less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised be the date on which the cheque is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 15 days from the date of the issue of draft.

If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units as could be issued under the Scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency.

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhutanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors,. Surplus if any, will be remitted back to NRI investors (after deducting bank charges for such remittance) at the ruling rate of exchange. In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable for Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder shall be bound to satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificate in case of application on behalf of minor, etc, depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

10—139 GI/96

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and their name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VIII. *Sale of Units*

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lots) at the option of the member. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificates not later than 10 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. *Repurchase of units*

(1) There shall be a three year lock-in-period i.e. upto 30th June, 1999. There shall be no repurchase during the first three years of the Scheme and Plan made thereunder except for settlement of claim cases.

The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be declared once every month.

(2) *Monthly Income option* : The Trust will offer to repurchase the units from the fourth year of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charge not exceeding 5% of the NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address/Unit Certificates duly discharged.

Repurchase of units shall be permitted in multiples of 100 units subject to the condition of minimum holding of 200 units.

The member while making an application for repuchase shall be bound to surrender all the unpaid Income Distribution Warrants remaining outstanding upto and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificacts duly discharged be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance or future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unpaid Income Distribution Warrants, if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificates and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding

to deduct from the repuchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged by the Trust, and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who hold units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Unit Certificates, the request letter for repurchase and the unpaid Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of the settlement of the claim.

(6) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(7) *Comulative Option*

The Trust shall in case of units issued under Cumulative option offer to repurchase the units from the fourth year of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Repurchase will be permitted in multiples of hundred units subject to the condition of minimum holding of 200 units.

(8) The repurchased units will not be reissued.

(9) The basis of computation of repurchase price shall be subject to Regulations, Guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

X. *Restriction on repurchase of units* :

Notwithstanding any thing contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust when the register of members is closed in connection with the annual closing of the books and accounts.

Explanation :

For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other State where the Trust has its office; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. *Publication of repurchase price* :

The Trust shall as early as possible after determining repurchase price publish it in leading daily newspapers.

XII. *Listing* :

1. The units issued under the scheme shall be listed on NSE. An application for listing shall be made to the Stock Exchange immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 30 of SEBI (Mutual Funds) Regulation, 1993.

2. A member desirous of liquidating his holdings may trade the units through the NSE on which the units of the Scheme are listed.

XIII. *Membership Advice/Unit Certificate* :

The Trust shall issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificates (in marketable lost) at the option of the member.

The non-resident Indian may choose any one of the following mode of despatch of Membership Advice/Unit Certificates :

(a) At the applicant's Indian/Foreign address

OR

(b) At the applicant's relative's address in India.

XIV. *Manner of preparation of Membership Advice/Unit Certificate* :

The Membership Advice and Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be singed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XV. *Exchange of Membership Advice/Unit Certificate and procedure when advice/Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc.* :

Membership Advice

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

Unit Certificate

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No, such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilated, wearing out, defacement, loss theft, or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn nut or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Certificate.

Notwithstanding the above, the Member under the Scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XVI. *Register of members* :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice/Unit Certificates and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person become the holder of the units standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVII. *Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc.* :

(1) Eligible institutions, body corporate ,and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified, proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor.

The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

XVIII. *Receipt by member to discharge Trust* :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XIX. *Nomination by members* :

(1) Members may exercise the right to make or cancel a nomination to the extent provided in the regulations. This facility will however not be available to the transferee in the event of transfer of a unit.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time.

XX. *Death of a member* :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survivor in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by a single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member (s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee/legal heir, the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units to the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as a member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice/Unit Certificates in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock in period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

XXI. *Income Distribution* :

The member shall have the right to exercise an option to participate in the Monthly Income Option or the Cumulative Option. This shall be done at the time of investment in the scheme and the option once exercised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Monthly Income Option.

(1) *Monthly Income Option*

Not less than 90% of the Net Income earned during the year in respect of the scheme and plan made thereunder shall be distributed to the members by way of dividend.

Before declaring dividend in the Plan . the Trust shall provide for depreciation on investments and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of its auditors and shall disclose the method of depreciation in the notes to the accounts.

The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @15% p.a. for the first year by means of post dated monthly warrants.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay minimum targetted dividend @ 15 % p.a. payable monthly in the first year for the investors. This minimum targeted return has been arrived at keeping in view the rates prevailing for fixed income instruments in which bulk of the investments under the plan are to be made viz. :

Corporate Debentures—18%.

Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the scheme and relevant factors and shall be declared by the month of March each year and paid monthly. The Trust shall despatch the Income Distribution Warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(2) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of dividend will be as follows :

06-05-1996 to 15-05-1996—Full month's dividend

16-05-1996 to 31-05-1996—Half month's dividend

01-06-1996 to 15-06-1996—Full month's dividend

16-06-1996 to 19-06-1996—Half month's dividend

(3) Depending upon the date of investment one Income Distribution Warrant for the period upto 30th September, 1996 will be issued which will be dated 1st August, 1996 and 6 postdated Income Distribution Warrants will be issued for the period October '96 to March '97. The Income Distribution Warrants for the month of April' 97 to June '97 will be issued in the month of March/April '97 depending upon changes in tax laws. The declaration of dividend and despatch of warrants for the subsequent years will be as per the following schedule :

Period	Dividend declaration	Despatch of warrants
01.07.1997 to 31.03.1998	By March 1997	By March-April 1997
01.04.1998 to 31.03.1999	By March 1998	By March-April 1998
01.04.1999 to 31.03.2000	By March 1999	By March-April 1999
01.04.2000 to 31.03.2001	By March 2000	By March-April 2000
01.04.2001 to 30.06.2001	By March 2001	By March-April 2001

The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance.

The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months.

The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase, the member upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification.

However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted members.

(7) In the event of death of an applicant where the application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(8) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right only with prior approval of SEBI to make the Income Distribution on a quarterly, half yearly or annual basis as the case may be should the reasons of expediency, cost, interest of members and other circumstances make it necessary for the Trust to do so.

In such an event the Trust shall notify the members by a publicatoin in atleast two leading English Language daily newspapers. No member shall have a right to claim Income Distribution on monthly basis after the Trust makes a notification as above.

(9) Cumulative Option : Under Cumulative Option, there will be no income distribution. Depending upon the date of investment, the income earned up to 30the June, 1996 will be converted into additional units up to three decimal places and issued to the member. From 1st July, 1996 the income earned will be ploughed back and will be reflected in the Net Asset Value.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account and account number, name of bank) at the appropriate space in the application from as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

Income Distribution to Non Resident Indian investor

Dividend under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The NRIs may choose any of the following modes to receive Incme Distribution Warrants.

(i) The warrant can be issued in the name of the investor and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the investor, Or

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for credting his account..

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1996 (II) [MIS '96 (II)] CONTINUED

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(a) Listed investments in shares and debentures which have not been quoted for three months prior to the date of valuation are treated as Unquoted Investments.

(b) Valuation rate in case of quoted investments is the market rate as of valuation date or most recent available quote falling within a period of three months prior to the date of valuation in case market quote as valuation date is not available.

(c) The aggregate cost of investments is compared with the aggregate market value to determine appreciation/depreciation in the value of investments. For arriving at the market value of investments :

(i) Quoted equity shares including those under lock-in-period/preference shares are taken at valuation rate.

(ii) Quoted debentures and bonds are taken at valuation rate discounted for interest element from the last interest due date to the date of quote in case of cum-interest quotes.

(iii) Quoted warrants are taken at valuation rate.

(iv) Unquoted equity/preference shares (including those listed but treated as unquoted) are taken at cost.

(v) Unquoted debentures and bonds are taken at lower of cost or face value marked to current rate of yield.

(vi) Unquoted warrants are taken at valuation rate of relative shares discounted for dividend element, if any, as reduced by the cost of acquisition payable. In cases where the cost of acquisition payable is higher than the market value, the value of warrants is taken as nil.

(vii) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not availbale, the market value of the convertible portion is taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for dividend element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above. Where terms of conversion are not specified in respect of convertible portion of debentures and bonds, the same are taken at cost.

(viii) Money Market obligations are taken at book value.

(ix) Government Securities/Certificates are taken at book value.

(x) The rights entitlements for shares/convertible portion of debentures and bonds where terms of conversion are known are taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for divident element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above.

The valuation of assests, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

IV. *Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV)* :

The Net Asset value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined sparately for the Monthly Income option and for the cumulative option. The NAV (on historic basis) shall be published atleast in two daily newspapers every month or at such intervals as may be approved by SEBI. The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be declared once every month.

V. *Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder*

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membership Advice/Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VI. *Transfer/Pledge/Assignment of Units* :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following terms :

(a) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause IV of the provisions of the scheme.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificate and unencashed warrants upto and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option) and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original units certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificates and income distribution warrants (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue certificates and warrants.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith dividend warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

VII. Investment Objectives and Policies :

Investment objectives and policies of the Scheme are to primarily provide regular monthly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and opera-operational expenses generally be invested as follows considering the objectives of the scheme :

(i) Atleast 80% of the funds will be invested in fixed income securities. The risk profile of investment will be low to medium.

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities, equity-related instruments and money market instruments. The risk profile of equity investments will be medium to high while that of investments in money market instruments will be low to medium.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment in money market instruments could be increased consistent with SEBI Guidelines on the same.

(iii) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(iv) No term loans will be advanced by this scheme.

(v) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(vi) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(vii) Not more than 10% of the funds of all the Schemes of the Trust taken together including this Scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(viii) Not more than 15% of the funds under all Schemes of the Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry :

Provided that provision shall not apply to a Scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and declaration to that effect has been made in the offer letter.

(ix) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The scheme shall not invest in or lend to another Scheme/Plan of the Trust.

(xi) The scheme shall not borrow funds to finance its investments.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

IX. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the profit and loss account as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/Guidelines issued by SEBI.

XI. *Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder* :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XII. *Termination of the Scheme and Plan made thereunder* :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 30-06-2001, the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid the value of their units at the repuchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value of by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 30th June, 2001 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(c) Where the Scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Bombay at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the Members of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of Sub-clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice/Unit Certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) *In case of non-resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below* :

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident, (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India.

XIII. *Power to construe provisions*

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. *Relaxation of provisions*

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the offer document shall be with prior approval of SEBI.

XV. *Scheme and Plan made thereunder to be binding on members*

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. *Benefits to the members*

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Deduction of Tax at source

Residents

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Similarly, tax will be deducted at source @ 15% from the income payable to HUFs if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Residents

As per Finance Act, 1995, Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRI in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

No deduction of tax

Residents

Resident Individuals and HUFs desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the previous year will be nil.

The form prescribed for non deduction of tax at source should be submitted alongwith application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non-Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from Income tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at souce irrespective of the amount of dividend.

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of dividend) under all schemes of the Trust including "MIP '96 (II)" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 13,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under Section 11(2)(b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Rights of Members

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the dividend declared by the Plan.
2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.
3. The Members are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.
4. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Bombay 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Kalyaniwalla & Mistry, Manekji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Complaints Received and Redressed for the period 01-07-1994 to 31-03-1996*

SCHEME	NO. OF COMPLAINTS			Pending to Total
	Received	Redressed	Pending	Received
1	2	3	4	5
CCCF . .	870	776	94	10.80%
CGGF . .	8966	7836	1130	12.60%
CGUS 91 .	1220	1106	114	9.34%
CRTS . .	246	222	24	9.76%
DIUP-93 .	543	386	157	28.91%
DIUP-95 .	29	27	2	6.90%
DIUS-90 .	1038	972	66	6.36%
DIUS-91 .	418	351	67	16.03%

1	2	3	4	5
DIUS-92	575	538	37	6.43%
IIISFU	14	12	2	14.29%
GCGI	985	920	65	6.60%
GRANDMASTER-93	400	312	88	22.00%
GMIS-91	2393	1996	397	16.59%
GMIS-92	1152	947	205	17.80%
GMIS-92(I)	617	499	118	19.12%
GMIS-B-92	347	243	104	29.97%
GMIS-B-92(II)	409	308	101	24.69%
GUP-94	1218	1030	188	15.44%
HUS-92	24	5	19	79.17%
MEP-91	4337	3630	707	16.30%
MEP-92	19980	17787	2193	10.98%
MEP-93	2501	2191	310	12.40%
MEP-94	3491	3086	405	11.60%
MEP-95	23995	23811	184	0.77%
MEP-96	18	10	8	44.44%
Mastergain-92	43255	30778	12477	28.85%
Mastergrowth-93	2351	1882	469	19.95%
MIP-93	1294	1067	277	17.54%
MIP-94(I)	783	503	1280	35.76%
MIP-94(II)	1122	837	285	25.40%
MIP-94(III)	1194	1095	99	8.29%
MIP-95	319	249	70	21.94%
MIT-95(II)	180	167	13	7.22%
MIP-95(III)	44	37	7	15.91%
MIP-96	2	2	0	00.00%
MIS-90(I)	1549	1282	267	17.24%
MIS-90(II)	2026	1766	260	12.83%
MIS-H-93	736	538	198	26.90%
MISG-91	2010	1739	271	13.48%
Masterplus-91	4414	3862	552	12.51%
Mastershare-86	31932	18199	13733	43.01%
Omni Plan	134	106	28	20.90%
PEF	517	392	125	24.18%
PBP	1705	1594	111	6.51%
Ujalakshmi U.P.	5664	5099	556	9.98%
Senior Citizen U.P.	967	837	130	13.44%
UGS-2000	60892	56138	4754	7.58
UGS-5000	13516	11373	2143	15.86%
ULIP	11003	8907	2096	19.05%
US-64	276473	246559	29911	10.82%
US-92	550	542	8	1.45%
US-95	7	5	2	28.57%
TOTAL	510425	484558	75889	14.04%

*For the period 01-01-1996 to 31-03-1996 only complaints received at the Central Investors' Relations Cell is included.

Reasons for pending complaints are :—

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investor could refer their grievances giving full particulars of investment to the following address :

Shri P. P. Shastri
General Manager
Central Investors Relations Cell
Unit Trust of India
SNDT Women's University Basement
Door No. 1
Sir Vithaldas Thackersey Marg
Mumbai 400 020
Phone : 2003860/2003853
Fax : (022) 2003865

Registrars

UTI Investors Service Ltd. situated at Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai 400 059, Tel. No. 8216310 has been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, dispatch of Membership Advice/Unit Certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from four main branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol-Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai 400 059.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P. B. No. 60, Calcutta-700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Madras-600 001.

North Zone : Tej Building, 3rd floor, 8, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

— The UTI Act

— The General Regulations

— The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.

— Copy of Offer Document of MIP 96 (II)

Table

Sr. No.	Plans	Annual Dividend Paid/Payable Monthly	Capital Appreciation (%) on maturity Assured	Actual	Bonus (%) Paid/ Payable
1	2	3	4	5	6
Schemes Matured					
1.	MIS-1	12% p.a.	—	6	—
2.	MIS-2	12% p.a.	—	7	—
3.	MIS-3	12% p.a.	—	8	—
4.	MIS-4	12% p.a.	—	8	—
5.	MIS-5	12% p.a.	—	10	—
6.	MIS-6	12% p.a.	2	5.5	1.5
7.	MIS-7	12% p.a.	2	6	1.5
8.	MIS-8	12% p.a.	2	7	1·5
9.	MIS-9	12% p.a.	2	9	1.75
10.	MIS-10	12% p.a.	2	9	2.00
11.	MIS-11	12% p.a.	2	11	2.25
12.	MIS-12	12% p.a.	2	28	2·25
13.	MIS-13	12% p.a.	2	40	3.00
Schemes in Operation					
14.	MISG'90	12% p.a.	—	—	1% payable at the end of each year
15.	MISG'90(II)	13% p.a.	—	—	3% declared at the end of 3rd year and addl. 2% bonus declared at the end of 5th year
16.	MISG'91	13% p.a.	—	—	3% declared at the end of 3rd year. Addl. bonus dividend will be paid after 5th year.
17.	GMIS'91	14·5% p.a. for the first 3 years & 15% p.a. for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option	—	—
18.	GMIS'92	Do.	Do.	—	—
19.	GMIS'92(II)	Do.	Do.	—	—
20.	GMISB'92	Do.	Do.	—	2% bonus dividend declared & is payable on maturity.
21.	GMISB'92(II)	14% p.a. for the first 2 years and 14.5% p.a. for the last 3 years	Do.	—	2% declared at the end of 3rd year and will be paid on maturity.

1	2	3	4	5	6
22.	MISB'93	14% p.a.	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option	—	Will be declared at the end of 3rd year and will be paid out after announcement.
23.	MIP'93	13.5% p.a.	Do.	—	May be declared at the end of 3nd and 4th year and shall be payable on maturity.
24.	MIP'94	13% p.a. for the first 2 years i.e. upto Feb. '96 & @ 13.5% p.a. under the monthly income option & 14% p.a. under cumulative option for the period 1-3-96 to 28-2-98	—	—	—
25.	MIP'94(ii)	13% p.a. payable monthly for first 2 years	—	—	—
26.	MIP'94(iii)	12% p.a. for the first year & 13% p.a. payable for the second year	—	—	—
27.	MIP'95	13% p.a. for the first year* & 14% p.a. for the 2nd year	—	—	—
28.	MIP'95(ii)	13.5% p.a. for the first year	—		
29.	MIP'95(iii)	14% p.a. for the first year	—	—	—
30.	MIP'96	14.5% p.a. for the first year	—	—	—

*Dividend rate for the subsequent years will be announced at/before the end of preceding years.

Details of Five Previous Monthly Income Plans of UTI

Plan	MIP 94(III)	MIP 95	MIP 95(II)	MIP 95(III)	MIP 96
Date of Commencement	01-01-95	01-07-1995	01-09-1995	01-01-1996	01-05-1996
Date of Termination	31-12-1999	20-06-2002	31-08-2000	31-12-2000	30-04-2001
Monthly Dividend	12% p.a. for the first year & 13% p.a. for the 2nd year	13% p.a. for the first year & 14% for the 2nd year	13.5% p.a. for the first year	14% p.a. for the first year	14.5% p.a. for the first year
Cumulative Option	—	—	—	—	—
Amount Collected	Rs. 737 cr.	Rs. 537 cr.	Rs. 352 cr.	Rs. 374.39 cr.	Rs. 185.15 cr.
No. of Applications	209648	172290	147132	138875	63777

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	1992-93					1993-94		
	MIS Pool	MISG90 Pool	GMIS Pool	GMIS B92 Pool	MISB93 Pool	MIS Pool	MISG90 Pool	GMIS Pool
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(A) Gross Income	21976.66	52603.65	30851.93	7045.47	559.20	27496.13	51887.56	40810.07
(B) Expenses (Including provision for doubtful assets)	571.08	1135.13	1041.91	628.53	173.32	486.12	1274.92	979.94
(C) Net Income	21405.58	51468.52	29810.02	6416.94	385.88	27010.01	50612.64	39830.13
(D) Dividend	14652.92	43199.38	19278.95	5757.82	0.00	9562.46	47043.45	20441.40
(E) NAV (per unit)*								
at the beginning of the year	10.71	10.59	11.19	NA	NA	11.55	10.65	11.06
at the end of year	11.55	10.65	11.06	10.16	10.12	14.73	11.35	12.99
(F) Expenses to average Monthly Net assets(%)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(G) Portfollo turn over rate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(H) Market Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(I) Repurchase Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(J) Sale Price								
Highest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lowest	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
(K) No. of Units O/s at the end of the period (Rs. in 000)**	104969.69	347161.23	209470.04	62323.85	43104.70	50706.67	354292.41	208431.38

1993-94				1994-95							
GMIS B92 Pool	MISB93 Pool	MIP94	MIP94 (ii)	MISG90 Pool	GMIS Pool	GMIS B92 Pool	MIS B93 Pool	MIP94	MIP94 (ii)	MIP94 (iii)	MIP95
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13301.68	13991.33	2443.14	198.33	50382.00	36865.00	15196.00	18030.00	5853.00	7227.00	3978.00	—
434.66	957.44	256.01	175.07	1550.00	1000.00	500.00	980.00	2583.00	2976.00	2057.00	13.00
12867.02	13033.89	2187.13	23.26	1117.00	5234.00	2642.00	—1820.00	—2548.00	—3850.00	—2779.00	—13.00
8247.96	11822.55	2106.70	0.00	47715.00	30361.00	12054.00	18870.00	5818.00	8141.00	4700.00	0.00
10.16	10.12	NA	NA	11.35	12.99	11.71	10.90	10.06	10.10	NA	NA
11.71	10.96	10.06	10.10	10.92	12.50	11.12	10.02	9.45	9.37	9.49	9.79
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
82286.03	135731.35	44552.46	38233.01	381368.00	205931.00	82116.00	133068.00	44552.46	61861.00	73500.00	16589.00

NAV has been calculated considering the Capital Reserve and Total Unrealised Appreciation of the investment of the Pool.

The face value of unit (Fig. in Lakhs) has been given. However, the face value of each unit under all pools is Rs 10/-and hence number of units can be worked out accordingly.

Dividends are calculated for the current year and provisions made to that extent.

HISTORICAL DATA-INCOME ORIENTED SCHEMES AS OF 31-12-1995

Particulars	MISG'90*	GMIS*	GMISB'92*	MISB'93*	MIP*'94	MIP'94(ii)	MIP'94(iii)	MIP'95	MIP'95(ii)	MIP'95(iii)
A. Gross Income	284.23	218.09	82.87	103.99	39.28	40.00	45.54	36.58	16.14	2.49
B. Expenses (Including Provisions)	29.30	6.99	21.90	14.73	15.77	24.37	23.10	14.14	1.80	0.62
C. Net Income (A—B)	254.93	209.10	60.97	89.26	23.51	15.63	22.44	22.44	14.34	1.87
D. Dividends	252.64	103.61	42.04	60.71	22.44	29.26	33.89	21.02	10·43	—
E. NAV ✠ Beginning	10.90	13.02	11.49	10.78	9.86	9.58	10.53	10.05	-	—
✠ End	10.65	12.87	11.65	10.73	8.89	9.35	9.25	9.90	10.13	11.41
F. Repurchase Beginning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
End	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
G. Expenses to Net Assets (%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H. Portfolio Turnover Rate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. Market Price High	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Low	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
J. Sale Price High	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Low	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K. No. of Units (In Lakhs)	36,195.34	20,283.91	18,121.04	13,247.75	4,401.50	6,154.68	7,365.59	5,581.94	3,238.25	2,820.99

× These are Pooled Schemes

✠ As on 30-06-1995

$ As on 31-12-1995 (As Per Unaudited half Yearly results)

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg (New Marine Lines), Mumbai-400 020. Tel : 206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel : 2181600/ 2181254. Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2205322. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel : 517101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 3329860/ 3329858.

BRANCH OFFIFCES UNDER WESTERN ZONE MUMBAI MAIN BRANCH OFFICE

Centre-1, 29th Floor, Cuffe Parade, Colaba Mumbai-400 005 Tel. : 2181600/2180057.

BRANCHES WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED

Ahmedabad : BJ. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Road, Ahmedabad-380 009. Tel. : 6423043. Baroda : 'Meghdhanush' 4th & 5th Floor, Transpek Circus, Race Course Road, Baroda-390 015, Tel. : 332481. Bhopal : 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone 1, Scheme 13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558308. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Opp. JVPD Shopping Centre, Gul Mohar Cross Road No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 6201995. Mumbai : (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi-Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7672607. Mumbai : (3) Lotus Court Building, 196, Jamshedji Tata Road, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 2850821/822 (For Mumbai Main Branch). Mumbai : (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S. V. Road, Borivli (West), Mumbai-400 092. Tel : 8020521. Mumbai : (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (West), Mumbai-400 086. Tel : 5162256. Indore : City Centre, 2nd Floor, 570, M. G. Road, Indore-452 001. Tel : 22796. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Road, Kolhapur-416 001. Tel. : 657315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg (Kingsway), Nagpur-440 001. Tel. : 536893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Floor, M.G. Road, Nasik-422 001. Tel : 72166, Panaji : E.D.C. House, Ground Floor, Dr. A.B. Road, Panaji, Goa-403 001. Tel : 222472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183 Fergusson College Road, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel : 325954, Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Floor,

Lakhaji Raj Road, Rajkot-360 001. Tel : 35112. Surat : Saifee Bldg., Road, Nanpura, Surat-395 001. Tel : 34550.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Veevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Road, Agra-282 002. Tel : 54408, Allahabad : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Road, Allahabad-211 003. Tel : 50521. Amritsar : Shri Dwarkadeesh Complex, 2nd Floor, Queen's Road, Amritsar- 143 001. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Building, Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel : 543683. Debradun : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Road Dehradun-248 001. Tel : 26720. Jaipur : Anand Bhavan (3rd Floor), Sansar Chandra Road, Japiur-302 001. Tel : 365212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel : 317278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Road, Lucknow-226 001. Tel : 23201. Ludhiana : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel : 400373. New Delhi : Gulab Bhavan (Rear Block), 2nd Floor, 6, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002. Tel : 3318638/3319786. Shimla : 3, Mall Road, 1st Floor (above Jankidas & Co., Dept. Store), Shimla-171 002. Tel : 4203. Varanasi : 1st Floor, D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221001. Tel : 54306/ 54262/54272.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Road, Bangalore-560 009. Tel. : 2263739. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Floor, M. G. Road, Ernakulam, Cochin-682 011. Tel. : 362354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Road, Coimbatore-641 018. Tel. : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Road, Hubli-580 020. Tel. : 363963. Hyderabad : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel. : 511095. Madras : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel. : 517101/ 513695. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparankundram Road, Madurai-625 001. Tel. : 38186. Mangalore : Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal-Matta Road, Mangalore-575 001. Tel. : 426258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Floor, M. G. Road, Thiruvanathapuram 695 001. Tel. : 331415. Trichy : 104 Salai Road, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 27060. Trichur : 28/876/77 West Pallithamam Building, Karunakaran Nahbiar Road, Round North, Trichur-680 020. Tel. : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bundar Road, Next to Hotel Manorama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatanam : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Road, Dwarkanagar, Vishakhapatanam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICE UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : Asha Niwas, 246, Lewis Road, Bhubaneshwar-751 014. Tel. : 56141. Calcutta : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 2209391/2205322. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur, Dev. Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel. : 4831. Guwahati : Jeevan Deep, M. L. Nehru Road, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425508. Patna : Jeevan Deep Building, Ground & 5th Floor, Exhibition Road, Patna-800 001. Tel. : 235001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel. : 24671.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.